राजस्थान विधान सभा

२०वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक—१ अप्रेल, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ३ बजकर ५ मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६१८

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

(प्रश्न-कर्त्ता अनुपस्थित)

श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६१९

राजस्थान में एकीकरण के पश्चात् "मदनगंज" में कपड़ा व्यवसाय में प्रतिदिन घटती

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उद्योग मन्त्री इस बात से परिचित हैं कि राजस्थान के एकीकरण के बाद "मदनगंज" में कपड़ा-व्यवसाय दिनोदिन गिरता जा रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या सोच रही है ?

(ग) मदनगंज के बाहर कपड़ा भेजना क्या मना है ? यदि हाँ, तो सरकार को उससे क्या फायदा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) मदनगंज में कपड़ा-व्यवसाय के गिरावट की कोई सूचना यहाँ प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोटन क्लॉथ एण्ड यार्न (कन्ट्रोल ऑफ मूवमेन्ट) ऑर्डर, १९४८ तथा उसके अन्तर्गत प्रचलित विभिन्न आज्ञाओं के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य को कपड़ा बिना परमिट प्राप्त

Page No.2

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

किये नहीं जा सकते। मदनगंज राजस्थान का ही एक अंग होने के कारण वहाँ भी यह नियम लागू है। व्यापारियों की सुविधा के लिए इस प्रकार के परमिट बिना किसी बाधा के दे दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६२०

किशनगढ़ से सिलोरा तक की सड़क के लिये वर्तमान ठेकेदार द्वारा भूतपूर्व किशनगढ़ राज्य द्वारा इकट्ठे हुए चेज़े के पत्थर इत्यादि का उपयोग

श्री चाँदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ से सिलोरा तक बनने वाली सड़क के लिये भूतपूर्व किशनगढ़ स्टेट के जो चेज़े के पत्थर व मिट्टी आदि मेटिरियल इकट्ठे कर रखे थे उनको मौजूदा ठेकेदार उपयोग में ला रहे हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मेटीरियल कितने मूल्य का था और क्या ठेकेदार के ठेके में उक्त मेटिरियल को फ्री ऑफ चार्ज उपयोग में लेने की शर्त थी ?

(ग) क्या यह सच है कि किशनगढ़ से सिलोरा तक जाने वाली सड़क खानों तक नहीं बनाई गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) उक्त मेटिरियल का अनुमानित मूल्य २,०८८) रु० है। इस मेटिरियल को मुफ्त देने की कोई शर्त नहीं थी और न मुफ्त दिया जा रहा है।

(ग) पंच वर्षीय योजना में इस सड़क को सिलौरा ग्राम तक ही बनाने का उल्लेख है किन्तु अब इसे खान तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उस मेटिरियल को ठेकेदार द्वारा उपयोग में लाने के पहले ही उस मेटिरियल की कीमत के बारे में जाँच कर ली गई थी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—उस मेटिरियल की कीमत २०८८) रुपया थी।

श्री चाँदमल मेहता—नहीं, मेरा प्रश्न यह नहीं; मेरा निवेदन है कि माल के बारे में जाँच ठेकेदार द्वारा उस मेटिरियल को इस्तेमाल में लाने से पूर्व ही की गई या बाद में ?

Page No.3

श्री टीकाराम पालीवाल—मेटिरियल का इस्तेमाल अभी किया नहीं गया है, किया जा रहा है।

श्री चाँदमल मेहता—इस्तेमाल कर लिया गया है।

(विराम)

क्या यह सही है कि सिलोरा की यूनियन ने माननीय मन्त्री महोदय के पास इस आशय की शिकायत की थी कि ५० हजार रुपये की कीमत का मेटिरियल ठेकेदार द्वारा इस्तेमाल किया गया है।

श्री टीकाराम पालीवाल—मन्त्री के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

प्रश्न संख्या ६२१

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६२२

किशनगढ़ तहसील में नकदी लगान लागू करना

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ तहसील में नकदी लगान कब से लागू किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि नकदी लगान मुकर्रर होने के बाद भी इस तहसील में चुरली, पाटन, बड़गाँव, लूरवर आदि गाँवों में अनाज की लटाई की गई है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस-किस गाँव में जागीरदारों ने लटाई की है और किस-किस गाँव में जागीरदारों के साथ राज्य कर्मचारियों का हाथ भी है ?

(घ) जिन जागीरदारों व राज्य कर्मचारियों ने लटाई की उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है ?

(ङ) क्या यह सही है कि लटाई का अनाज सरकारी खजाने में जमा नहीं हुआ और किसानों को अब नकदी लगान के लिये तंग किया जाकर वसूली की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) सम्वत् २०१० से।

(ख) हाँ, नरवर गाँव से लटाई करने की कोई शिकायत पेश नहीं हुई।

(ग) चुरली, पाटन, और बड़गाँव में लटाई की शिकायतें पेश हुई हैं जिनमें राज्याधिकारियों द्वारा जाँच की जा रही है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(घ) पाटन में लटाई का नाज अमानत में रखा जाकर तहकीकात की जा रही है। चुरली और बडगाँव में शिकायतें पेश होने पर जाँच की जा रही है। लटाई राज्य कर्मचारियों की सहायता से नहीं की गई।

(ङ) चुरली पाटन बडगाँव ये तीनों गाँव जागीरदारों के हैं इसलिए इनकी लटाई का अनाज सरकार में जमा नहीं हुआ है मुकदमात के फैसल तक अमानत रखाया हुआ है और इनकी वसूली भी स्थगित कर दी गई है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय को जानकारी है कि इन्क्वायरी हुई है और उसमें प्रमाणित हो गया है कि राज्य के अधिकारियों ने लटाई की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—राज्य के अधिकारियों ने लटाई की है या नहीं, इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय जाँच करने के लिये तैयार हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी मैं कह रहा था कि जाँच हो चुकी है और उससे साबित हो चुका है कि राज्य-अधिकारियों ने लटाई नहीं की।

श्री चाँदमल मेहता—क्या बड़गाँव के सम्बन्ध में जाँच होकर पूरे कागजात कलेक्टर के यहाँ आ चुके हैं और उनमें यह होल्ड किया है कि राज्य-अधिकारियों ने लटाई की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे पास जो सूचना है उससे, आप जो सूचना दे रहे हैं, उसका मेल नहीं खाता।

श्री चाँदमल मेहता—क्या रजिस्टर्ड लेटर के जरिये शिकायत नहीं की गई थी कि सरकारी अधिकारी लटाई कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उसी के ऊपर जाँच की गई।

श्री चाँदमल मेहता—जाँच किसके द्वारा करवाई गई और उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा जाँच की गई और परिणाम यह निकला कि राज्य-अधिकारियों द्वारा लटाई नहीं की गई।

श्री चाँदमल मेहता—क्या लटाई कराने में अधिकारियों का हाथ था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह अलग प्रश्न है।

श्री चाँदमल मेहता—लटाई हुई या नहीं ?

Page No.5

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके बारे में जाँच चल रही है।

श्री चाँदमल मेहता—जाँच कब से चल रही है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मैं ठीक से नहीं कह सकता।

श्री चान्दमल मेहता—जाँच कब तक खत्म हो जायगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जाँच की कार्यवाही जिस तरह जल्दी से जल्दी खत्म होती है, उसी तरह होगी।

श्री चान्दमल मेहता—क्या जो नकद वसूल किया जाता है वह इस फैसले तक स्थगित रहेगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह 'ङ' के उत्तर में साफ कह चुका हूँ कि नकदी की वसूली स्थगित कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६२३

श्री अध्यक्ष—श्री तेजपाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६२४

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६२५

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूँसिंह, दाँता रामगढ़।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न सं० ६२६

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न सं० ६२७

इस वर्ष राजस्थान में खोले जाने वाले कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट

श्री सुगनचन्द जैन—क्या सामुदायिक विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इस साल कहाँ २ कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट खोलने की योजना है ?

(ख) क्या चितौड़ जिले में भी इस साल काम्युनिटी प्रोजेक्ट खोलने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सामुदायिक विकास योजना मन्त्री)—(क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

सुगनचन्द जैन—सरकार के पास क्या मामला विचाराधीन है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—प्रश्न में जो पूछा गया है वही मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० ६२८

श्री अध्यक्ष—श्री तेजपाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न सं० ६२९

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न सं० ६३०

श्री अध्यक्ष—श्री मोटाराम चौधरी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न सं० ६३१

राजस्थान में अनुसूचित जन जाति क्षेत्र के उत्थान एवं विकास के लिए बनाई गई विशिष्ट योजनायें

श्री धूलजी भाई भावसार--क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के अनुसूचित जन-जाति-क्षेत्र के उत्थान एवं विकास के लिए क्या कोई विशिष्ट योजनायें बनाई गई हैं ? यदि हाँ, तो कृपया इन योजनाओं का उल्लेख करने की कृपा करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—हां। सूची टेबल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न सं० ६३२

अनुसूचित जाति को शोषण से मुक्त करने के लिए संविधान के अन्तर्गत शासकीय कदम

श्री धूलजी भाई भवसार—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अनुसूचित जन-जाति-क्षेत्र के लिए संविधान में उल्लिखित आज्ञाओं के अनुसार अनुसूचित आदिम जाति को शोषण से मुक्त करने के लिए कोई कदम उठाया गया है ? यदि नहीं तो निकट भविष्य में सूदखोरों एवं व्याज खोरों के शोषण से बचाने के लिए महाजनों का कानून (Money Lenders Act) जैसा कोई कानून बनाया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० ६३३

किसी पद के लिये सामान्य नियुक्तियों के अवसर पर राजस्थान दलित वर्ग विभाग से प्रतिनिधि बुलाना

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.8

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(क) क्या यह सत्य है कि जब कभी किसी भी पोस्ट के लिए जनरल नियुक्तियाँ होती हैं तब राजस्थान बैकवर्ड क्लासेज़ विभाग से कोई भी प्रतिनिधि नहीं बुलाया जाता ?

(ख) यदि बुलाया गया तो कब-कब ?

(ग) यदि वहाँ से कोई प्रतिनिधि नहीं बुलाया जाता है तो भरती करते समय हरिजनों का ध्यान कैसे रखा जाता है ? उनकी तरफ से कौनसा अधिकारी रहता है जो कि इस बात की जांच रखे कि भरती करते समय दलित वर्ग के लोगों के प्रति अन्याय तो नहीं होता है ?

(घ) क्या अब भविष्य में इसके लिये सरकार पूर्ण आश्वासन देने की कृपा करेगी और ऐसे अवसर पर बैकवर्ड क्लासेज़ विभाग के एक प्रतिनिधि को भी बुलायेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) जिस विभाग में नियुक्तियाँ की जाती हैं, सिर्फ उसी विभाग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ अधिकारी जनसेवा आयोग द्वारा बुलाया जाता है।

(ख) बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेन्ट में अभी तक गजटेड पोस्ट के लिए कोई नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नहीं की गई है।

(ग) विधान के अनुच्छेद ३३५ के अनुसार राजस्थान सरकार ने प्रशासन विभाग की आज्ञा संख्या एफ. २५।४२।जी. ए.।ए. ५१ दिनांक १९ सितम्बर, १९५१, जो राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है, के द्वारा सेवाओं व मदों का १२½ फी सदी रक्षित स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए रखे हैं।

(घ) उपरोक्त आज्ञा को कार्यान्वित करने का सरकार पूर्ण प्रयत्न करेगी।

प्रश्न सं० ६३४

भीलवाड़ा में मारपीट, छूरे-बाजियों, चोरियों इत्यादि की अधिकता

श्री तेजमल बापना—(क) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में मारपीट, छूरे-बाजी, चोरियां सरकामवेशी आये दिन होती रहती है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि पुलिस इन वरदातों को रोकने में नाकामयाब रहती है जिससे जनसाधारण में बड़ा असन्तोष व रोष है ?

(ग) क्या भीलवाडा पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में सरकार के पास समय-समय पर कोई शिकायतें पेश की गईं ? यदि हाँ, तो इस ओर कोई ध्यान नहीं देने का क्या कारण है ?

Page No.9

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री)—(क) नहीं, यह सही नहीं है। इस तरह नहीं होता है।

(ख) नहीं, जनसाधारण में कोई असन्तोष और रोष नहीं है।

(ग) सरकार के पास पिछले साल एक ऐसी शिकायत आई थी। उसकी जांच की गई और उसमें पुलिस की अकर्मण्यता साबित नहीं हुई। उसके बाद अब तक कोई शिकायत नहीं आई।

एक सदस्य—क्या वाकई कभी-कभी ऐसा होता है ?

श्री तेजमल बापना—क्या सरकार इसकी संख्या बतला सकती है ?

श्री नरसिंह कछवाह—१-१-५३ से २५-३-५३ तक २६

१-१-५४ से २५-३-५४ तक १६

कुछ कम ही हुई है।

(हंसी)

प्रश्न सं० ६३५

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न सं० ६३६

कुशलगढ़ तहसील में सरबा ग्राम के तालाब का निर्माण कार्य

श्रीमती यशोदा देवी—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुशलगढ़ तहसील के सरबा ग्राम के तालाब का निर्माण किन्हीं इन्जीनियरों की सलाह से किया गया है ?

(ख) उस तालाब में इस समय कितना पानी है व उसमें इस साल कितनी सिंचाई हुई है ?

(ग) इस तालाब पर क्या लागत आई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री)—(क) यह नहर के इन्जिनियरों की सलाह से किया गया।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) इस समय कितना पानी है और कितनी सिंचाई इस साल हुई है, यह अभी मालूम हो सका है। इसकी जानकारी हासिल की जा रही है।

(ग) तालाब पर ३६,६४०) रुपये खर्च हुए।

श्रीमती यशोदा देवी--यह जानकारी कब तक हो जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जल्दी से जल्दी हो जावेगी।

अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० ६३७

श्री अध्यक्ष—श्री गोपीलाल यादव।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न सं० ६३८

राजस्थान में हरिजन दिवस मनाने में १६५३-५४ में व्यय

श्री महादेव प्रसाद—क्या हरिजन विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में हरिजन दिवस मनाने में सन् ५३-५४ में कितना रुपया खर्च हुआ ?

(ख) हरिजन दिवस मनाने में हरिजनों को क्या क्या लाभ मिले ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) ६,७००) रुपये।

(ख) हरिजन दिवस मनाने में सवर्णों और हरिजनों के बीच जाते हैं। यह भेद-भाव को मिटाने के लिए जो प्रचार किया जाता है उनका एक अंग है। ऐसे कार्य का फल तत्काल उपलब्ध नहीं होता और होता भी है तो भी आंका नहीं जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६३९

उदयपुर डिवीजन में भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी तथा उसके यहां दायर मुकदमें

श्री सुगनचन्द जैन—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

Page No.11

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(क) क्या उदयपुर डिवीजन में कोई एन्टी करप्शन ऑफिसर है? यदि हाँ, तो उस ऑफिसर का क्या नाम है?

(ख) इस साल कितने मुकदमें दायर हुए हैं और कितनों को सजा दिलाई और कितने पेन्डिंग हैं?

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर चित्तौड़ जिले का अलग-अलग नामजद तथा तारीख वार बताने की कृपा करें?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री)—(क) हाँ, उदयपुर डिवीजन में एक सब इन्सपेक्टर जिसका नाम श्री मोहनलाल है।

(ख) इस साल सन् १९५४ में अब तक ६ केसेज़ उदयपुर रेंज में रजिस्टर हो चुके हैं और जो जेर तफतीश हैं।

(ग) चित्तौड़ जिले के निम्नलिखित सरकारी कर्मचारी जिनके नाम के आगे तारीख दी हुई है, भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए हैं :—

१. हैड कॉंस्टेबल संग्रामसिंह	ता० ११-१-५४
२. कॉंस्टेबल भवानीसिंह	ता० ११-१-५४
३. ,, लालसिंह	ता० ११-१-५४
४. ,, मोहम्मदखाँ	ता० ११-१-५४
५. क्लर्क अर्जुनदास, एस. डी. ओ. ऑफिस	ता० ४-३-५४
६. उम्मीदवार मांगीलाल तहसील दफतर, चित्तौड़	ता० ४-३-५४
७. क्लर्क जगन्नाथ पंचायत बोर्ड, पांडोली	ता० २२-३-५४

श्री सुगनचन्द—उन पर क्या केस बने हैं?

श्री नरसिंह कछवाहा—उन पर भ्रष्टाचार के केस हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सँख्या ६४०

श्री अध्यक्ष—गुलाबचन्द कासलीवाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४१

जवाई बांध में से सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के लिये नहर

श्री अर्जुनसिंह (वि० सं० ४)—क्या मन्त्री, सिंचाई विभाग यह बतलाने का कष्ट करेंगे :—

[श्री अर्जुनसिंह (वि० सं० ४)]

(१) जवाई बाँध में से सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के लिये नहर क्यों नहीं बनायी जाती ?

(२) क्या बाँध में ७ फीट पानी फालतू पड़ा रहता है और उसके काम आ सकता है ?

(३) सरकार इस नहर का काम कब तक चालू करने वाली है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(१) शिवगंज की नहर की अभी सरवे हो रही है, जाँच हो जाने के पश्चात् अगर इस नहर का बनाना उचित खर्चे पर सम्भव पाया गया तो काम शुरू कर दिया जावेगा। अभी जांच में कुछ समय लगेगा।

बाँध में ७ फीट पानी फालतू नहीं पड़ा रहता है।

(२) पूरी नहर जब तक नहीं बन जाती है कुछ पानी का बचा रहना स्वाभाविक है।

(३) १ का उत्तर देने पर प्रश्न नहीं उठता।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा—मौजूदा नहर एरिया की भी पूरी सिंचाई नहीं होती तो फिर क्या कारण है कि शिवगंज के लिये सरवे हो रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आप मुझे बतला रहे हैं या कोई प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री माधोसिंह—इसका कमान्डिग एरिया क्या है ?

श्री अर्जुनसिंह—आपका एरिया नहीं पीवेगा।

श्री माधोसिंह—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जितना एरिया है उसमें पूरी की पूरी सिंचाई होती है या नहीं।

श्री टीकाराम पालीवाल—सारे एरिया पर सिंचाई नहीं हो सकी है।

श्री माधोसिंह—क्या मौजूदा नहर उतनी ही है जितनी पहले थी ?

एक माननीय सदस्य—केनाल पूरी हो चुकी या नहीं ?

श्री भैरूँसिंह (१६)—यह केनाल भैंसवाड़ा पहुँचेगी या नहीं।

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी सूचना मिली है कि भैंसवाड़े ठिकाने के पट्टे के गाँवों के पास तक पहुँच गई है।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !! नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६४२

श्री अध्यक्ष—श्री भगवानसिंह तरंगी ।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४३

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मपाल ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४४

श्री अध्यक्ष—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४५

श्री अध्यक्ष—श्री नारायण चतुर्वेदी ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४६

झुन्झुनू जिले में पंचवर्षीय-योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट

श्री महादेव प्रसाद—क्या सामुहिक विकास योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) झुंझुनू जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट अब तक बनाये गये ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या निकट भविष्य में कोई कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाने की योजना है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सामुदायिक विकास योजना मन्त्री)— (क) नहीं।

(ख) क्योंकि प्रमुख ध्येय देश में अधिक अन्न उपजाना था । भारत सरकार ने आदेश दिया था कि सामुदायिक योजना के लिये क्षेत्र चुनते समय राज्य सरकारें उन इलाकों को प्राथमिकता दें, जहाँ हर सिंचाई के साधन अथवा निश्चित वर्षा उपलब्ध हो ।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

प्रश्न संख्या ६४७

भीम के समीप कालादेह बाँध पर मेवाड़ सरकार द्वारा लगा हुआ रुपया

श्री जयसिंह [वि० स० ४६]--क्या मन्त्री सार्वजनिक निर्माण व सिंचाई विभाग यह बताने का कष्ट करेंगे :—

[१] भीम के पास जो कालादेह नामी बांध बन्ध रहा है उस पर मेवाड़ सरकार का कितना रुपया लगा हुआ था ?

[२] इस पर राजस्थान सरकार ने गत वर्ष कितना रुपया लगाया ?

[३] इसका टेन्डर किस ठेकेदार के नाम पास हुआ ?

[४] क्या जिला कॉंग्रेस भीलवाड़ा की ओर से इस बाँध के काम में आने वाले चूने की खराबी की कोई शिकायत आपके पास पहुँची है।

[५] यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में कोई जाँच कराई है ?

[६] इस जाँच का नतीजा क्या रहा ? यदि नहीं, तो काम की खराबी से इस बांध के टूट जाने पर जनता के जान-माल और सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन के नष्ट हो जाने के भंयकर परिणाम का क्या सरकार को अन्दाजा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल [सिंचाई मन्त्री] —१. कालादेह का बन्ध बहुत पुराना है। मेवाड़ सरकार का इस पर कितना रुपया लगा था इसका अब कोई रेकार्ड मौजूद नहीं है।

२. १७.५००] रुपया।

३. गुप्ता ब्रादर्स।

४. हाँ।

५. जांच कराली थी।

६. चूने में कोई खास खराबी नहीं पाई गई। बाँध का इस वजह से टूटने का साधारणतया कोई खतरा नहीं है।

प्रश्न संख्या ६४८

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

[प्रश्नकर्ता अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ६२३

श्री अध्यक्ष—श्री तेजपाल

[प्रश्नकर्ता अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ६२४

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६२५

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनास नदी पर २० लाख रुपयों का बाँध बनाने की योजना

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)— क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनास नदी पर एक बाँध २० लाख रुपये की लागत का बनवाने की कोई योजना बनाई गई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि उसी योजना के अनुसार वहाँ लगभग एक लाख रुपया खर्च भी हो गया ?

(ग) क्या यह सही है कि अब इस योजना को कार्य रूप में न लाने का सरकार ने तय कर लिया है ?

(घ) यदि नहीं, तो अब तक सरकार ने उसमें क्या काम करवाया है बताया जावे ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सामुदायिक विकास योजना मन्त्री)—

(क) हाँ, पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनास नदि से सिंचाई की योजना बनाई गई थी किन्तु वह ठीक नहीं थी। अब दूसरी जगह बाँध बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) यह सही नहीं है।

(ग) अभी इस बारे में कोई अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है।

(घ) अब तक केवल नहरों की सर्वे और नदी में चट्टान देखने के लिए बोरिंग का काम किया गया है।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतलावेंगे कि योजना बनाने के वक्त से लेकर योजना खत्म करने तक सरकार के कितने रुपये खर्च हुए ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सुना नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री भैरूँसिंह—योजना बनाने के बाद से लेकर योजना के खत्म करने तक सरकार ने कितने रुपये खर्च किये हैं ?

श्री अध्यक्ष—योजना खत्म से क्या मतलब ?

श्री भैरूँ सिंह—यह योजना रद्द कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष—रद्द कहिये ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसका नोटिस चाहूँगा।

श्री भैरूँ सिंह—प्रश्न के 'ख' भाग में यह पूछा गया है कि क्या यह सही है कि उसी योजना के अनुसार वहाँ लगभग एक लाख रुपया खर्च भी हो गया ? माननीय मन्त्रीजी को चाहिये था कि इसके मुतल्लिक सारे फिगर्स लेकर आते।

श्री अध्यक्ष—'ख' का जवाब दिया गया है कि सही नहीं है।

ये चाहते हैं कि कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री टीकाराम पालीवाल—एग्ज़ेक्ट फिगर्स अवेलेबल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह।

प्रश्न संख्या ६२६

बाड़मेर की पत्थर की खानों का ठेका नाऊमल खेराजमल को

श्री तनसिंह—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या बाड़मेर की पत्थर की खानों का ठेका नाउमल खेराजमल को दिया गया है ?

(ख) क्या इसका कोई आम इश्तहार शाया किया गया था ? यदि हाँ, तो कब ?

(ग) यह ठेका कितने रुपये में दिया गया ?

(घ) क्या यह सही है कि ठेकादार ने खानों पर कब्जा पाते ही वहाँ के मजदूरों को पत्थर निकालने से रोक दिया ?

(ङ) क्या ठेका मंजूर करते समय मजदूरों की मजदूरी के विषय में कोई शर्तें ठेकेदार से तय की गई थी ? यदि हाँ, तो क्या और 'ना' तो क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप वित्त मन्त्री)—(क) बाड़मेर की पत्थर की खानों का ठेका श्री जेठानन्द वल्द छोगामल को दिया गया है।

(ख) इसका आम इश्तहार राजस्थान राजपत्र दिनाँक २९-८-५३ में शाया किया गया था।

[श्री चन्दनमल वैद]

(ग) यह ठेका ३०१ में दिया गया ?

(घ) जी हाँ ?

(ङ) ठेका मन्जूर करते समय मजदूरों की मजदूरी के विषय में कोई शर्त ठेकेदार से तय नहीं की गई क्योंकि जोधपुर डिविजन में जो ऐसे ठेके दिये जाते हैं उनमें यह शर्त नहीं रक्खी जाती ।

श्री तनसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जोधपुर में पत्थर के खानों का ठेका देते समय यह शर्त मन्जूर की गई ?

श्री चन्दनमल वैद—मैं समझा नहीं, आपने क्या फरमाया ?

श्री तनसिंह—आपने अभी बतलाया कि जोधपुर डिवीजन में शर्तें नहीं होती तो जोधपुर में पत्थर की खानों का ठेकेदार को ठेका दिया गया; तो क्या मजदूरों को मजदूरी की निश्चित कोई शर्त तय नहीं हुई है ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने बताया कि नहीं हुई ?

प्रश्न संख्या ६२८

श्री अध्यक्ष—श्री तेजपाल ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६२६

सिवाणा तहसील में दो-तीन वर्षों पूर्व बन्दोबस्त होने पर भी किसानों को पर्चे व पट्टे अभी तक नहीं

श्री मोटाराम चौधरी—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[क] क्या सरकार के ध्यान में है कि सिवाणा तहसील में दो-तीन वर्षों से सेटिलमेंट हो चुका है और वहाँ के किसानों को उनके पर्चे व पट्टे अभी तक नहीं दिये गये हैं ?

[ख] यदि हाँ, तो यह कब तक दिये जावेंगे ?

[ग] इस वर्ष की उनालू फसल की लटाई रोकड़ रुपयों में की जायगी अथवा धान की लटाई से ? यदि रोकड़ रुपयों में नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया [राजस्व मन्त्री]—तहसील सिवाणा में बन्दोबस्त का काम मार्च १९५३ तक हो चुका था और उसके पश्चात् एक्सटेन्शन और कम्पाइलेशन का काम पूरा

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

होकर रेन्ट रेटस पूरी हो गई है। रेन्ट रेटस पुरी हो जाने के बाद पर्चे तकसीम कर दिये जावेंगे।

[ख] पर्चे मई ५४ में बाँट दिये जावेंगे।

[ग] नया बन्दोबस्तीय लगान इस रबी से लागू कर दिया जवेगा।

श्री मोटाराम चौधरी—यह नया बन्दोबस्तीय लगान कब लागू कर दिया जावेगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अर्ज किया कि इस रबी से लागू कर दिया जावेगा?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६३०

ग्राम किटूँद सिराणा बामसीम तहसील पचपदरा सिवाणा में जागीरदारों द्वारा चौथा बाटा वसूल करना

श्री मोटाराम चौधरी—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि गाँव किटूँद सिराणा बामसीम तहसील पचपदरा सिवाणा में जगीरदारों ने किसानों से चौथा बांटा वसूल किया है?

(ख) क्या इस प्रकार की गैर कानूनी लटाई की शिकायत एस. डी. ओ. के पास होने पर भी अबतक उसकी कोई सुनाई नहीं हुई है?

(ग) यदि नहीं हुई है, तो क्यों नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) नहीं।

(ख) ऐसी कोई शिकायत एस. डी. ओ. के पास पेश नहीं हुई?

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मोटाराम चौधरी—तो क्या यह सही नहीं है कि जागीरदारों ने चौथा बाँटा सिराणा बामसीम आदि जगहों पर वसूल किया है और इसके सम्बन्ध में एस डी. ओ. के पास शिकायत की है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एस. डी. ओ. के पास शिकायत पेश नहीं हुई।

श्री मोटाराम चौधरी—एस. डी. ओ. के पास शिकायत पेश की गई थी...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपने जो सूचना दी है उस सूचना के ऊपर में और जानकारी प्राप्त करूँगा।

प्रश्न संख्या ६३५

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३७

श्री गोपीलाल यादव

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४०

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री भगवानसिंह तरंगी।

प्रश्न संख्या ६४२

झालावाड़ जिले में सामुदायिक विकास योजना के केन्द्र खोलना

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

[१] क्या सरकार झालावाड़ा जिले में सामुदायिक विकास योजना विभाग का केन्द्र खोल रही है ?

[२] यदि हाँ, तो जिले के किस भाग में ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(सामुदायिक विकास योजना मन्त्री)

[१] प्रश्न विचाराधीन है।

[२] प्रश्न नहीं उठता।

श्री कँवरलाल जेलिया—'विचाराधीन' का अर्थ क्या लगाया जाय ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री धर्मपाल।

प्रश्न संख्या ६४३

६०, ६१, ६२, और ६३ जी. बी. (तहसील अनूपगढ़) में सरकार के मुरब्बे

श्री धर्मपाल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री धर्मपाल]

[क] ६०-६१-६२ और ६३ जी. बी. त० अनुपगढ़, गंगानगर में सरकार के कितने कितने मुरब्बे हैं ?

[ख] यह भूमि किन-किन व्यक्तियों को दी गई है ?

[ग] कितने अर्से तक और किन-किन शर्तों पर इस भूमि को अलॉट किया गया है ?

[घ] क्या यह सच है कि सरकार इन्हीं व्यक्तियों को फिर यह भूमि दे रही है ? यदि नहीं, तो क्या इस भूमि को हरिजनों को या उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दी जा सकेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया [राजस्व मन्त्री]—इस बारे में अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, सूचना प्राप्त होने पर जवाब दूँगा।

श्री धर्मपाल—यह लाजमी था कि सूचना मँगा लेनी चाहिये थी। काफी समय हो चुका है। जमीनों का सरकार पैसा इकट्ठा कर रही है......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जायगी और आप जो और सूचना देंगे उस सम्बन्ध में जाँच की जायगी।

प्रश्न संख्या ६४४

श्री अध्यक्ष—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ६४५

श्री नारायणलाल।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित]

श्री श्रीदास गोयल ?

प्रश्न संख्या ६४८

जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर को सरकार द्वारा दिया गया रुपया तथा शर्तें

श्री श्रीदास गोयल—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर को सरकार द्वारा कितना रुपया दिया गया है व किस शर्त पर ?

[श्री श्रीदास गोयल]

(ख) अब तक कितना रुपया उक्त कारखाने से वसूल हुआ ?

(ग) उक्त कारखाना कब से सीमेंट की बिक्री कर रहा है ?

(घ) सरकार के प्रतिनिधि द्वारा इस कारखाने के हिसाब खरीद-फरोख्त की जाँच की गई या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप अर्थ मन्त्री)—(क) जयपुर उद्योग लिमीटेड सवाई माधोपुर में राजस्थान गवर्नमेंट के ७५ लाख रुपये के तीन प्रतिशत क्युम्युलेटिव प्रिफरेन्शियल शेयर्स हैं।

(ख) वसूली का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) उक्त कारखाना जून सन् १९५३ से बिक्री कर रहा है।

(घ) यह लिमिटेड कम्पनी है और लिमिटेड कम्पनी के हिसाब की जाँच हर साल रजिस्टर्ड चार्टर्ड ऑडीटर करते हैं। अतः सरकार के प्रतिनिधि द्वारा जाँच का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार का कोई सेक्रेटरी भी डाइरेक्टर्स के बोर्ड में नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद—जी नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—तो क्या सरकार ने ७५ लाख जो लगाये हैं, तो क्या परचेज़ करने वगैरह की जिम्मेदारी नहीं ली है; हिसाब की भी जिम्मेदारी नहीं है ?

श्रीचन्दनमल वैद—लिमिटेड कम्पनीज़ का हिसाब रजिस्टर्ड चार्टर्ड ऑडिटर्स करते हैं, सरकार की ओर से कराने का सवाल ही नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—मेरा तो प्रश्न यह है कि ७५ लाख रुपये लगाने के बाद जो खरीद फरोख्त इस कम्पनी द्वारा जो करोड़ों रुपये का हुआ है, क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए अपने किसी आदमी को रखना मुनासिब ख्याल नहीं किया ?

श्री चन्दनमल वैद—प्रिफरेन्स शेअर्स के हो जाने से गवर्नमेन्ट को कोई हक नहीं मिल जाता।

श्री श्रीदास गोयल—जब सन् ५३ से इसके माल की बिक्री होने लगी तो अब तक सरकार ने क्या अपने प्रिफरेन्स शेअर्स का प्रोफिट लेने का विचार नहीं किया ?

श्री चन्दनमल वैद—प्रोफिट डिक्लेअर किया गया, तीन प्रतिशत क्युम्युलेटिव शेअर्स का।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस कम्पनी की एन्युअल लोस एण्ड प्रोफिट रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आती है ?

श्री चन्दनमल वैद—हाँ, आती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लास्ट स्टेटमेन्ट आपके पास कौनसे वर्ष का आया है ?

श्री चन्दनमल वैद—गत साल का।

श्री हरिकृष्ण व्यास—फाइनेन्शियल पोज़ीशन क्या डिक्लेअर हुई ?

श्री चन्दनमल वैद—मुनाफा नहीं हुआ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि सीमेंट फेक्टरी रोजाना ५०० टन सीमेंट बेचती है और कम से कम २५ हजार का मुनाफा होता है।

श्री चन्दनमल वैद—५०० टन प्रतिदिन नहीं बल्कि ३०० टन प्रतिदिन बेचती है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूँ कि सेन्ट्रल एक्साइज़ द्वारा इस बात की जाँच की जाय कि वास्तव में ५०० टन सीमेंट रोजाना बेजा जा रहा है और उतना ही टैक्स दिया जा रहा है।

श्री चन्दनमल वैद—हमारे पास ऐसी कोई लेटेस्ट सूचना नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार इस सम्बन्ध में जानकारी करने के लिये तैयार है ?

श्री चन्दनमल वैद—जरूर।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार का अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसके प्रोटेक्शन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री चन्दनमल वैद—सरकार का इन्वेस्टमेन्ट ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ही रहता है।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदन को सूचित करता हूँ कि श्री मोतीचन्द खजान्जी, डिवीजन नम्बर १०८ ने २२ मार्च १९५४ से पूरे सत्र के लिए विधान सभा से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है ?

(अनुमति प्रदान हुई)

आज्ञा प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री रामकरण जोशी—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की मेज पर, जैसा कि मोटर वेहिकल्स एक्ट, १९३९ की धारा १३३ द्वारा आवश्यक है, मोटर वेहिकल्स नियमावली १९५१ के प्रथम शिड्यूल में किये गये संशोधन की घोषणा करने वाली गृह विभाग की द्वितीय विज्ञप्ति संख्या एफ १० (५) ४ (होम), ५३ दिनांक २१ दिसम्बर, १९५३ रखता हूँ।

राजस्थान दिवस के उत्सव पर हुई अव्यवस्था सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो स्थगन प्रस्ताव श्री अवनिकुमार मुकर्जी (वि०सं० १) और श्रीमती यशोदा देवी (वि० सं० ८) के आये हैं। वे इस आशय के हैं।

"राजस्थान दिवस के उत्सव पर हुई अव्यवस्था के कारण वाद-विवाद करने के लिए इस सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे"

श्रीजयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—मेरे पास इस प्रस्ताव की कॉपी नहीं आई।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—I myself did send a copy of the motion to the Office.

श्री जयनारायण व्यास—To the House or to me here, or to my office ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—On Wednesday last between 7. 30 P. M. and 7. 45 P. M. it was delivered at the residence of the Chief Minister.

श्री जयनारायण व्यास—By the peon of the Communist Party, I believe ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I delivered it myself, or it may be anybody; it was delivered all the same.

श्रीमती यशोदा देवी—मैंने भी अपने प्रस्ताव की कॉपी माननीय मन्त्री जी के यहाँ पहुँचा दी थी।

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर ! ऑर्डर !!

Any way, the matter may be of public importance also. But we have to see whether the question is of urgent public importance. A matter can be said to be urgent if it calls for immediate attention of the House, and such matter is to be given precedence over the proceedings of the House The very fact.........

(श्री सचिव से विचार-विमर्श)

The very fact, however, that a discussion on this matter in the House would not lead to any benefit at all on account of the fact that the Rajasthan

[श्री अध्यक्ष]

Day has already been celebrated, I do not think any purpose will be served by alllowing this adjournment motion. I do not take into consideration whether... nor I want to go into the enquiry whether the Leader of the House has received a copy of the adjournment motion or not, still if he has received, I do not think that it is worthwhile to discuss the matter and I rule that it is not of urgent public importance and my ruling is that both the motions are out of order.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Are both the motions of the same nature ?

श्री अध्यक्ष--Yes.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The advantage would be, Sir...I do not want to go into the ruling, if you have given any ruling, no discussion... ..

श्री अध्यक्ष--No use discussing it here. You can discuss it thoroughly with me.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--That question does not arise. The question is that there is a lot of benefit in discussing it on the floor of the House' to this extent that......

श्री अध्यक्ष—If there is anything to discuss...because if the Hon'ble Member wants that the ruling which I have given is wrong, he can come and discuss with me in the Chamber, I assure you that, but it is no use, worthwhile discussing it on the floor of the House. More or less on line of demarcation can be made out in which you can safely say that you will not discuss the merits of the ruling that I have given and I think..

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I do take that you have given a ruling...

श्री अध्यक्ष—Yes, it is not urgent. I have clearly said that it is not of urgent public importance and it does not call for my attention that the business of the House should be adjourned and this is a specific matter...

श्री मानसिंह महार—On a point of information, Sir,

दो दिन पहले दिल्ली विधान सभा में इसी तरह की एक अव्यवस्था के बारे एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था जिसको वहाँ के स्पीकर ने अलाउ किया था।...

श्री अध्यक्ष—May have been. I am not bound by this ruling. This House is bound by my ruling and by its own convention.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, is it customary to permit some submission for the admissibility before giving a ruling on this ?

श्री अध्यक्ष—No.

प्रक्रिया की नियमावली में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव

Now we proceed to the business of the day. Shri Mohan Lal Sukhadia.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I had given notice of a motion regarding discussion of rules. It was placed for discussion, but I was not informed. Now......

श्री अध्यक्ष—This matter can be talked over with me or the Secretary in the Chamber. It is no use discussing it on the floor of the House and wasting time of the House...

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is not the point. After it has been placed on the 26th, it should have got priority on the subsequent days. That has not baen done and I want to know what has been done and what is happening on the subsequent days. Once a matter is put for discussion, and ordinarily when the budget is over, that should be given priority and I should be told what is going to happen to my motion.

श्री अध्यक्ष—(श्री सुखाड़िया को संकेत करके) Yes

राजस्थान कृषि-भाटक नियन्त्रण विधेयक, १९५४.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move that the Rajasthan Agricultural Rent Control Bill be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The question is that the Bill be taken inte consideration.

(स्वीकृत)

The bill is taken into consideration. Now we take the Bill clause by clause.

Clause 2.

Yes I have received this amendment motion, copies of which have not been circulated to the Hon'ble Members. All the amendment motions have been

[श्री अध्यक्ष]

received last night, of the last day, on the 31st. They are not ripe and therefore the copies could not be circulated to the Hon'ble Members. I will have no objection in admitting them, but this is subject to the objections of the Hon'ble Member.

I will now ask Mr, H. K. Vyas to move his amendment motion to Clause 2.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I move the following Amendment: "In sub-clause (iii) last line delete the following words :

" but does not include a trespass."

यह क्लॉज परिभाषा से ताल्लुक रखता है और इसमें 'टिनेन्ट' की परिभाषा के अन्त में ये शब्द रक्खे हैं जिनका वैसे तो कोई मतलब ही नहीं होता, इस वजह से मतलब नहीं होता कि जब जिस व्यक्ति को आप Trespasser कहें तो वह फिर टीनेन्ट किसी भी हालत में नहीं समझा जा सकता। लेकिन इन शब्दों के साथ और इस सब क्लाज (iii) के अन्त में 'ट्रेसवासर' शब्द इसमें इन्क्ल्यूड नहीं होकर ऐसा लिख देने का तात्पर्य यह होगा कि यदि किसी टिनेन्ट का क्लेम उसी वक्त इमीजिएटली डिटरमीनेबल हो और डिटरमिन्ड न हो पाया हो तो उसकी जांच करने के बजाय यहाँ आकर 'ट्रेस पासर' शब्द को इस्तेमाल करके उसका क्लेम आग्यु (argue) करने की अथवा लागू करने के बजाय फाइनल मतलब लोग लगा लेंगे और शंका और सन्देह इससे लोगों में पैदा हो जावेगा और कल जाकर कोर्टों में यदि इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न आवेगा तो इन शब्दों की वजह से टिनेन्ट के अधिकारों को सुरक्षित रखने के बजाय उसमें खामी ही ज्यादा पैदा होगी। इस वजह से मेरा यह अमेन्डमेन्ट है कि टिनेन्ट की जो परिभाषा दी गई है उसमें और उसके बाद फिर "Does not include a trespasser" शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इससे गलतफहमी होने की गुंजाइश है, इसलिए उनको हटा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसी के साथ में......

श्री अध्यक्ष—Just as you like. If you want to put after that...

श्री हरिकृष्ण व्यास—That pertains to a different matter,

श्री अध्यक्ष—Any other Hon'ble Member ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का तात्पर्य पूरे तौर से नहीं समझ पाया कि जो आम तौर से इस टीनेन्सी की कानून के अन्दर टीनेन्ट की व्यवस्था में 'ट्रेस पासर' शब्द को कहीं नहीं हटाया गया है फिर इस पर यही एतराज क्यों किया गया है ?

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

आगे उन्होंने कहा कि आगे कोर्ट में जाकर इसका मतलब कॉम्पलीकेट हो जावेगा तो मैं समझता हूँ कि कॉम्प्लीकेशन को खड़े होने का कोई सवाल नहीं आवेगा। डेफिनिशन का सवाल जहाँ तक है यही डेफिनीशन सब जगह है। इसलिए यह अमेन्डमेन्ट जो मूव किया गया है उसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ।

श्री अध्यक्ष—So, I put this to vote ?

The question is that Sub-clauses (1) and (2) of clause 2 be accepted.

(स्वीकृत)

Sub Clauses (1) and (2) of clause 2 are accepted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Hon'ble Member who moved the Bill just now said "no".

श्री अध्यक्ष—Now, the question is that the amendment motion to sub-clause (iii) moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that sub-clause (iii) of clause 2 be accepted.

(स्वीकृत)

Sub-clause (iii) of clause 2 is accepted.

(विराम)

Now, we come to sub-clause (iv). Amendment motion by Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, can I take the amendment as moved ?

श्री अध्यक्ष—Yes.

Page No.28

श्री हरिकृष्ण व्यास--[In sub clause (iv) last line "substitute one lakh" in place of 15,000".]

माननीय अध्यक्ष, परिभाषा 'अरबन एरिया' की जो की गई है उसमें १५ हजार अथवा १५ हजार से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में, उसके आसपास के इलाकों में, कोई एग्रिकलचर लेन्ड है तो उसको 'अरबन एरिया' समझा जायगा। ऐसी परिभाषा की गई है और आगे चलकर इस परिभाषा का तात्पर्य क्या है वह भी साफ हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के 'अरबन एरिया' में आने वाले जो लेन्ड्स हैं उनके लिए तीन गुना तक किराया वसूल करने को इजाजत दी गई है। मेरा एमेन्डमेंट 'अरबन एरिया' की परिभाषा की इसी बात से ताल्लुक रखता है और मैंने एमेन्डमेंट यह दिया है कि १५ हजार के एवज में एक लाख अथवा उससे ज्यादा आबादी की 'अरबन एरिया' माना जाय। इस एमेन्डमेंट के कारण के सिलसिले में एक-दो शब्द कह देना आवश्यक है। राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्य भागों के मुकाबले में ज्यादा कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ के जो कस्बे हैं वह धीरे धीरे इवोल्व (evolve) हुए हैं। आज भी उनमें से कई कस्बों में उनके आसपास एग्रिकलचर लेन्ड स्थित है। यहाँ तक कि अलवर जैसे शहर में, जो कि एक समय एक राज्य की राजधानी रह चुका था, वहाँ पर भी ऐसी जमीनें हैं और वहाँ के किसानों ने इस बात की बारबार शिकायत भी की कि उनसे आवश्यक तीन गुना लगान लेने की जो बात पुराने एक्ट में है वह बड़ी अन्याकारी है, यह इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। मेरा ख्याल है कि माननीय मन्त्रीजी इस बात को तस्लीम करेंगे कि इस प्रकार की शिकायत, इस प्रकार के रिप्रेज़ेन्टेशन्स लगाकर आये हैं उस इलाके से और वहाँ के उन किसानों की परेशानी का यह एक कानून का हिस्सा बड़ा भारी बायस बन चुका है। यदि इस प्रकार के कानून को या इस प्रकार के प्रोवीजन को आमूल बदलने की गुंजाइश न भी हो तो कम से कम यह तो अवश्य किया जा सकता है कि जो आबादी की सीमा मानी जाय वह आबादी की सीमा दरअसल जिसको हम एक सिटी कह सकते हैं कि जिसमें काफी बड़ी तादाद में अरबन पॉपुलेशन (urban papulation) है उनके लिए ही, उससे सम्बन्धित इलाके के लिए ही उसे 'अरबन एरिया' में तीन गुना रेन्ट को लागू किया जाय। इस इरादे से मैंने यह एमेन्डमेंट प्रस्तुत किया है, माननीय अध्यक्ष, कि '१५ हजार' के एवज में '१ लाख' शब्द रख दिये जाने चाहिए और इस एमेन्डमेएट को मानने में कोई कठिनाई सम्बन्धित मन्त्री महोदय को नहीं होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्षजी, १५ हजार की आबादी को बढ़ाकर एक लाख की आबादी का जो प्रस्ताव किया गया है और एमेन्डमेंट से जाहिर है कि इसका मतलब जिन इलाकों में अभी वह लागू है वह कोई भी शहर या कस्बा उसमें नहीं आये, लेकिन जो यह अरबन एरिया रखा गया है उस वक्त इस बात को ख्याल में रखा गया है कि १५ हजार की आबादी के पास की जो जमीन है उस जमीन की जो आमदनी होती है वह बमुकाबले उस जमीन के कि जो उससे ज्यादा दूर है, छोटी जगहों में है, अधिक होती है और कई गुना अधिक आमदनी होती है और वहाँ पर कई गुना रेक रेन्टिंग चल रहा था, इसलिए उसको तीन गुना रखा है और

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं समझता हूँ कि, जैसा कि यह कहा गया है कि लगातार रिप्रेज़ेन्टशन्स इस बारे में उन कस्बों की तरफ से आये हैं, वह उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी कोई कह देता है कि इस तीन गुने के बजाय दुगुना किया जाय वरना आम तौर पर वहाँ के कस्बों में इस बारे में कोई खास ऐतराज नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो १५ हजार की लिमिट 'अरबन एरिया' के बारे में है, वह उचित लिमिट है। वहाँ की जमीन से अधिक आय होती है काश्तकारों को, इसलिए 'अरबन एरिया' में १५ हजार की लिमिट को ही लेना चाहिये, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष—(श्री हरिकृष्ण व्यास से) You press your amendement ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment to sub-clause (iv) of clause 2 moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

Now, the question is that Sub-clause (iv) be accepted.

(स्वीकृत)

Sub-clause (iv) is accepted.

(विराम)

The question is that the whole clause 2, "DEFINITIONS" stand part of the Bill,

(स्वीकृत)

The clause is added to the Bill. Now we come to Clause 3.

श्री अध्यक्ष—श्री गोपीलाल यादव।

(अनुपस्थित)

[श्री अध्यक्ष]

वे अनुपस्थित हैं इसलिए उनका संशोधन प्रस्ताव स्वयं ही गिर जाता है। श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—[In sub clause (1) of the clause" (1) delete proviso oue (2) delete proviso two"]

माननीय अध्यक्ष, एमेन्डमेंट मूव हो चुका है, ऐसा समझकर इस सिलसिले में मुझे जो बात कहनी है वह मैं इस सदन के सामने आपके जरिये अर्ज करूंगा। यह जो बिल हमारे सामने लाया गया है वह एक बार हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है और यह कहकर रद्द किया गया था कि आखिर कारण क्या है, इस प्रकार का कानून बनाने का। क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसा कानून निकाला है कि, उन इलाकों में कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, जिस वजह से ऐसा कानून बनाया जाय, और महज इस वजह से कि जो नतीजा राज्य सरकार ने निकाला था वह कानून में दर्ज नहीं कर पाई वह राज्य सरकार, इस आधार पर इस कानून को रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब वह एक ऐसी क्लॉज़ उसमें रखने जा रही है कि जिसमें और एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। इस बिल के उद्देश्य में यह कहा गया है कि रेक रेन्टिंग चल रहा है, जरूरत से ज्यादा लगान लेने की प्रथा चल रही है या जमीन का किराया लेने की प्रथा चल रही है; इसलिए उसमें कुछ पाबन्दी लगाना है इस उद्देश्य से यह कानून प्रस्तुत है। तो फिर यदि जरूरत से ज्यादा किराया या लगान लेने की प्रथा प्रचलित है तो वह चाहे कोई भी लेता हो वह अन्यायकारी है, वह गलत है। कोई विद्यार्थी है, कोई नाबालिक है कोई विधवा है तो आपकी उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक प्रथा का ताल्लुक है उस प्रथा के सिलसिले में २ तरह का डिस्टिन्कशन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, यह कहकर कि यह नाबालिग है; वह तो बेचारा तीन गुना ले सकता है और कोई दूसरा है तो दुगुना लगान ले सकता है। इसका तात्पर्य तो यह हुआ, माननीय अध्यक्ष, कि रेक रेन्टिंग को रोकने का तरीका या उसको रोकने के सिलसिले में बनाये जाने वाले कानून का ताल्लुक है उससे कोई साइन्टीफिक रेन्ट तय हुआ नहीं, बल्कि लेने वाले की नियत के ऊपर मुनस्सर है और ऐसा कभी नहीं किया जा सकता है। लगान देने वाली रियाया का स्टेटस क्या है, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए और इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए इसमें जो दोनों प्रोविजो हैं 'प्रोवाइडेड देट' और फिर 'प्रोवाइडेड देट'; एक तो यह कि कोई विडो हो या माइनर हो, डिसएबल परसन हो या विद्यार्थी हो वह कुछ सीमा में बढ़ा-चढ़ा लगान ले सकता है। इस प्रोविजो को इस कानून से अलग कर दिया जाय और दूसरा जो अरबन एरिया के सिलसिले में प्रोविजो लगाया गया है कि तीन गुना लगान लिया जाय उसे भी अलग किया जाय, ऐसा मेरा दूसरा एमेन्डमेन्ट है।

मेरे पहले एमेन्डमेन्ट के बारे में यह अर्ज है कि यदि हम यह मानते हैं कि रेन्ट को वैज्ञानिक या साइन्टिफिक आधार पर लिया जाय तो फिर इस प्रकार के प्रोविज़ो की क्या आवश्यकता थी? मन्त्रीजी ने कहा कि शहर के नजदीक रहने वालों को काफी खर्चा करना पड़ता है लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि शहर के नजदीक रहने वालों को आमदनी भी काफी ज्यादा मिलती है बमुकाबले गाँवों में रहने वालों के। इसलिए इसे साइंटिफिक बेसिस पर लगाने की कोशिश की जानी चाहिये। मैं अदब

Page No.31

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

से अर्ज करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह वैज्ञानिक इसलिए नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने न तो कोई इस बारे में छानबीन की और न फेमली बजट निकाला और न आमदनी के मुकाबले में कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन (Cost of production) निकाली। कस्बे के पास रहने वालों से ज्यादा लगान क्यों लिया जाय इसकी कोई माकूल वजह नहीं है। इन दोनों प्रोविज़ोज़ को हटाना चाहिये। इसलिए मैं अपने दोनों एमेन्डमेन्ट्स को सदन के सम्मुख पेश करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गोपीलाल यादव—I may be allowed now.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member will abide by the ruling which I have given on the former occasion.

श्री गोपीलाल यादव--I should speak on some amendment.

श्री अध्यक्ष—Is it at all necessary ?

श्री गोपीलाल यादव--Yes, My lord.

(हँसी)

अध्यक्ष महोदय, मैं ने इस बिल की क्लॉज़ ३ पर अपना एक एमेन्डमेन्ट पेश किया था उसके पीछे क्या आशय है यह निवेदन करना चाहता हूँ। क्लॉज़ ३ में यह है कि "......No landholder shall recover or be deemed entitled to recover as cash rent for any holding in an area to which this Act for the time being applies an amount exceeding twice the land revenue assessed on such holding or the cash-rent fixed under section 4 of this Act." अधिक लगान न वसूल किया जाय, मैं इसे मानने को तैयार हूँ बशर्ते कि गवर्नमेन्ट यह मान कर चले कि दूने लगान से ऊपर तीन गुना रेक रेन्ट की तरीफ में आता है क्योंकि भरतपुर और अलवर में रेक रेन्टिंग होने की वजह से यह कानून बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दुगुना लगान लिया जाय तो रेक रेन्टिंग की तारीफ में आ जाता है। आप करीब-करीब सवा करोड़ राजस्थान के किसानों को बरबाद करना चाहते हैं। उसके बाद अलवर-भरतपुर की बहतरी का नम्बर आयेगा। मुझे निवेदन करना है कि आपने जागीरदारों पर १।६ लगान वसूल करने का कानून लगाया है। अब आप जो रेन्ट कायम करना चाहते हैं उसके लिये बिल अलग पेश किया है जो सदन के सामने आयेगा उसके अनुसार सरकार जो वसूली करेगी वह होगा १।४ या १।६; मैं उसका विरोध करूँगा। आप जो कुछ करें उसमें भेद-भाव नहीं होना

[श्री गोपीलाल यादव]

चाहिये। यदि यह चीज अलवर-भरतपुर के साथ सारे राजस्थान में लगाई जाय तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। आप कोई बेसिस मुकर्रर कर लीजिये जिससे रेक रेन्टिंग शुरू हो जाता हो। रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने कहा कि भरतपुर में लगान क्यों लगाना पड़ा, उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ पर ५० गुना तक रेन्ट मौजूद है, ऐसा इन्क्वायरी से पता लगा। यदि ऐसा है तो आप उसको कंट्रोल कीजिये, जितना रीजनएबल हो उतना रखिये। ५० गुना तक है तो आप तय कर लीजिये कि इतना तय करते हैं। यदि आप इनके लिये दुगुना तय करते हैं तो गवर्नमेन्ट के लिये १।४ या १।६ कैसे किया गया है? मेरा निवेदन है कि उन्होंने गलती की है। आप उस समय की प्रोसीडिंग्ज निकाल कर देखिये, उस वक्त भी मैंने कहा था कि यह गलत चीज है और यदि हाईकोर्ट में रिट पेश की गई तो यह कानून खत्म हो जायगा और हजारों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब भी यह सेक्शन १६ के नीचे खतम हो जायगा। आप जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। आपने रेक रेन्टिंग का बेसिस कायम नहीं किया और कानून बना दिया। दो आना बीघा से लेकर १ रु० बीघा तक की लगान है। एक किसान ३) रु० लगान के दे रहा था उसके दो आना हो गये और अब चार आना देते हैं। हजारों रुपये लगाकर जमीन को बनाया और काश्तकारों को लाकर बसाया गया था। मेरा निवेदन यह है कि यह जो लगान बढ़ाया है वह दरअसल में ठीक ढंग पर कोई बेसिस मुकर्रर करके नहीं किया गया। आपने दूना लिख दिया, चौगुना लिख दिया या जैसा दिल में आया वैसा लिख दिया! गवर्नमेंट को बेसिस कायम करके सारे राजस्थान के लिये मुनासिब रेन्ट कायम करना चाहिये।

इसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसका भी मैं विरोध करना चाहता हूँ। वह है अगली धारा उसमें लिखा है, "-- .. Provided that widows, minors, disabled persons and students of recognised institutions below the age of 21 years shall be entitled to charge rents to the extent of three times the assessed land revenue from their tenants......" जिसके पास ६ बीघा चाही से ज्यादा नहीं है और १० बीघा बारानी या कुल २५ बीघा बारानी से ज्यादा नहीं है उनके लिये यह प्रोविजो लगाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गरीब विद्यार्थियों की मदद करिये, लेकिन मदद कैसे की जाय? मान लीजिये उनके पास २५ बीघा बारानी जमीन है, उसका सरकारी लगान दो आना बीघा है, आप उसको ६ आने बीघा के हिसाब से दिलाइये, वह २ आने बीघा सरकार में देगा और उसके पास ४ आ० बीघा रहेगा और उसके पास २५ बीघा है तो उस विद्यार्थी को कुल ६ रु० ४ आ० साल भर में मिलेंगे। क्या उससे उसका स्कूल या कॉलेज का खर्च चलेगा या रोटी-कपड़े का खर्च चलेगा, यह वह क्या करेगा यह सोचने की बात है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपने नियम बनाते वक्त यह ध्यान नहीं रखा कि आप मजाक कर रहे हैं या विद्यार्थियों को रियायत दे रहे हैं। रियायत में भी खर्चा सारा देना चाहते हैं किसानों के सर पर। अगर आप यही कानून बनाते हैं कि गरीब किसानों से नाबालिग तिगुना लगान ले लेगा तो समझा जाता कि आप किसानों से भी दिलवाना चाहते हैं, पर आप अपनी रकम को तो अपनी जेब में रखना चाहते हैं और उन गरीब बच्चों को आप देना चाहते हैं १०) रु०, २०) रु०, २५) रु० साल का।

[श्री गोपीलाल यादव]

इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि यह इतना इम्पोर्टेन्ट मामला है कि बजाय इसके कि ३ बीघा, ५ बीघा, २५ बीघा के नियत यह कर दिया जाय कि वह नाबालिग विद्यार्थी उतनी जमीन का तिगुना लगान ले सके जिससे उसको १२००) रु० साल से कम आमदनी हो। १००) रु० माहवार आप विद्यार्थियों या विडो को दीजिये। अगर आप अपनी जेब में से नहीं दें तो जमीन का तिगुना लगान लेने का हक देकर दीजिये, बजाय १०, २०, या २५ बीघा जमीन के, जिससे कि उसको ६) रु०, १०) रु० या २५) रु० सालाना मिलेगा। मैं आपसे अपील करूँगा कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर इस चीज को ही निकाल दीजिये, अगर आपको रियायत नहीं देनी है। ६) रु०, १०) रु० या २५) रु० सालाना से अनाथ बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या खायेगा, क्या पहिनेगा? हाँ, माहवार भी ६) रु०, १०) रु० या २५ रु० हो तो फिर भी कुछ माने रखते हैं। साल भर में ६), १०) या २५) रु० देना चाहते हैं तो आप इस चीज को ही निकाल दीजिये, आप अहसान क्यों करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कहना चाहते हैं कि हम अनाथ बच्चों को, विधवाओं को रियायत करना चाहते हैं। देना चाहते हैं तो १००) रु० दीजिये। १००) रु० माहवार आज के वक्त में कोई ज्यादा नहीं। अनाथ बच्चों, विधवाओं और अपंगों के जिनके कि दूसरा कोई सोर्स ओफ इन्कम (Source of income) नहीं है उनको १००) रु० माहवार तो दीजिये, १००) रु० से कम में तो क्या होगा? इसीलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो ६, १० और २५ बीघा रखा है उसको छोड़ कर लिख दीजिये :

"Provided his income is less than Rs. 1200/-"

यह मेरा अमेंडमेंट है, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे स्वीकार करेंगे।

श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, मेरा भी एक अमेंडमेंट है; मैं उस पर बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आपका तो कवर हो गया इससे।

श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़)—नहीं कवर नहीं हुआ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—That has not been Circulated.

श्री अध्यक्ष—You need second proviso.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बिलों के बारे में यह अच्छा रहेगा कि जो अमेंडमेंट्स सरक्युलेट हुए हों उन्हीं को लिया जाय और जो सरक्युलेट नहीं हुए हों उनको नहीं लिया जाय।

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ़)--इस क्लाज पर मैं जनरल बोलना चाहता हूँ, अमेंडमेंट्स पर न सही।

श्री अध्यक्ष — yes.

श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान एग्रीकल्चर रेंट कन्ट्रोल बिल के द्वारा सरकार ने एक तरफ तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भूमि के लगान को निश्चित करने का कदम उठाया है और उस कदम के साथ-साथ कुछ विद्यार्थियों, अनाथों, विधवाओं और अपंगों को भी रिलीफ (Relief) दिया है। वह रिलीफ (Relief) देते वक्त कानून बनाने वालों के मस्तिष्क में उदारता का संचार तो अवश्य हुआ पर वह उतनी ही सीमा पार कर सका जिसके लिये मैं कह सकता हूँ कि उनके दिमाग में उन लोगों के प्रति पूरी उदारता नहीं थी।

एक तरफ सरकार ने कानून बनाया कि जमीन की एसेस्ड रेट से दुगुना कोई लगान नहीं ले सकता, उसी वक्त सरकार के सामने, अनाथ बच्चों, विधवाओं, अपंग यानि डिसएबल्ड परसन्स (Disabled persons) और स्टूडेंट्स की दिक्कत आई। इसके लिये जरिया निकालना कि जिनके पास २५ बीघा (कैसी ही जमीन चाही और बेरानी) जमीन हो उसका लगान तिगुना तक ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अभी माननीय श्री गोपीलालजी यादव ने बताया कि यह रकम स्टुडेन्ट्स के लिये किसी तरह काफी नहीं हो सकती उसी तरह अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि स्टुडेन्ट्स से ज्यादा दयनीय हालत उन विधवाओं की होगी जिनका ईश्वरीय प्रकोप से कोई सहारा नहीं रहा; उन माइनर्स, अनाथ बच्चों की हालत दयनीय होगी जिनको अपने मां-बाप से वंचित होने के कारण ऐसी परिस्थितियां में पड़ने को मजबूर होना पड़ता है। स्टुडेन्ट्स, माइनर्स, डिसएबल्ड परसन्स और विधवाएँ, यदि इनको एक लाइन में लिया जाय तो किसी के बारे में हम यह नहीं कह सकते कि इनमें से किसी एक का केस किसी एक से भी ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है, उसको ज्यादा रियायत दी जानी चाहिये।

दैवी प्रकोप सब के लिये बराबर है। इसमें चाहे काश्तकार हो या जागीरदार हो, सबकी हालत एक सी होती है। एक तरफ एक काश्तकार है और एक तरफ जागीरदार है। काश्तकार जो दैवी प्रकोप से खत्म हो जाता है तो पीछे बचती है उसकी विधवा। विधवा किसी प्रकार से उसकी जमीन की काश्त नहीं कर सकती। उसी तरह से जागीरदार जिसको लेंडलोर्ड के नाम से सम्बोधित किया है तो उस जागीरदार के खत्म हो जाने के बाद जो उसका नेक्स्ट एयर (heir) यदि स्त्री हो तो भी वह काश्त नहीं कर सकता। उन सब को मजबूरन अपनी जमीन दूसरों को काश्त करने के लिये देनी पड़ेगी। अब अगर उनसे उम्मीद करें कि कोई नाबालिग अपने बालिग होने तक किसी दूसरे को काश्त करने के लिये जमीन न दे तो यह भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने दूसरा कानून भी साथ-

Page No.35

[श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़)]

साथ बना लिया है कि कोई जमीन को पड़त नहीं रख सकता और कोई रखे तो सरकार को अधिकार है कि वह उस जमीन को दूसरों को बताये।

एक तरफ हम यह करते हैं कि उन अपंग, विधवाओं, माइनर्स (Minors) और स्टूडेन्ट्स जिनकी हालत ईश्वरीय प्रकोप से ऐसी नहीं रह गई है कि उनको काम के योग्य समझ सकें उन आदमियों को अपनी जमीन दूसरों को इस कानून के जरिये काश्त के लिये दे सकते हैं और उसका तीन गुना लगान ले सकते हैं; कितना लगान जो असेस्ड रेट्स (Assessed Rates) विलेज सर्कल का है, उससे तीन गुना लगान लेंगे।

यदि मानवता के नाते इन चीजों को सोचा जाय तो इन ऐसे डिसएबल्ड पर्सन्स की जमीनों पर लगान लगाना ही मानवता के खिलाफ है। फिर भी यह जो रियायत दी गई है वह ऐसी रियायत नहीं है कि उनकी डिमान्ड्स को फुलफिल (fulfil) कर सकें।

मेरे मित्र श्री एच० के० व्यास ने कहा कि इसका सारा का सारा बोझा काश्तकारों पर पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह रियायत केवल जागीरदारों के लिये ही नहीं है काश्तकारों के लिये भी है क्योंकि मरने का ठेका सिर्फ जागीरदारों ने अकेलों ने नहीं ले रक्खा है। मरने का ठेका न जागीरदारों के लिये है और न काश्तकारों के लिये। ईश्वरीय प्रकोप तो दोनों के लिये बराबर है। ईश्वरीय प्रकोप तो दोनों ही के लिये बराबर होगा और वैसी हालत में जागीरदार की या काश्तकार की समान हालत होगी। यदि उनको यह रियायत नहीं मिली तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

इस क्लॉज में आगे चलने से बड़ी अजीब चीज़ मिलती है। एक तरफ उन विधवाओं के लिये सीमा रखी है कि ६ बीघा, १० बीघा, २५ बीघा का लगान तीन गुना ले सकें, आगे प्रोविज़नों में चलते हैं तो पता चलता है कि शहरों के पास जमीन में ऐसो कोई तादाद नहीं रखी गई है।

चाहिये तो यह था कि किसी विशेष कारण से जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो वहाँ रेन्ट्स भी ज्यादा हों। उन चीजों का कन्ज़म्पशन ज्यादा है तो इस कारण जो खेती होती है उसकी उपज ज्यादा हो सकती है। लेकिन खेती करके देखें तो पता चलेगा। एक्सपेरिमेंटल फार्म्स जयपुर में हैं, सभी सदस्य जानते हैं; बजट में भी देखा है कि जयपुर के पास जो एक्सपेरिमेंटल फार्म्स हैं वे सेल्फ सपोर्टिङ्ग नहीं हैं। एक्सपेरिमेंट किया जाय कि किसी अरबन एरिया (Urban area) में जो खेती होती है उसका एवज कोस्ट ओफ प्रोडक्शन से ज्यादा होता है या कम।

इस सदन में इस बारे में कई बार चर्चा चल चुकी है, बजट के सम्बन्ध में भी इस बारे में काफी बहस हो चुकी है। इस सदन में हुई चर्चाओं के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि एक्सपेरिमेंटली अरबन एरियाज़ में खेती हो तो उसमें कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी बजाय रिटर्न्स (Returns) के।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि इस प्रकार का प्रोविज़न रखना इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान के अन्दर ऐसे-ऐसे होशियार आदमी हैं जो गरीबों से जमीन छीनना चाहते

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

हैं और अपने कब्जे में लेकर थोड़ा सा लगान देना चाहते हैं। आप देखेंगे कि राजस्थान प्रान्त के निर्माण के बाद बड़े-बड़े लोगों ने बड़े-बड़े Forests या बड़ी-बड़ी जमीनों को एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर करवा ली हैं और अपने कब्जे में करवा कर अब उसके बाद उस पर नोमीनल लगान लगाने की यह रियायत की जाती है। सरकार की उनको किसी तरह से रियायतें देने की मंशा है। अगर सरकार की यह मन्शा नहीं होती तो (घंटी) ऐसा क्यों रखा जा रहा है मैं यह निवेदन करूँगा कि उन लोगों को कोई रियायतें देने की आवश्यकता नहीं। अगर आप यह चाहते हैं कि कानून एकसा बने तो आपको काश्तकारों से और दूसरों से बराबर लगान लेना होगा, चाहे वह जमीन शहर में हो या वह शहर के बाहर। शहर में कहा जाता है कि कितनी मंहगाई है, उनको खाद भी देना पड़ेगा, बैल और उनकी चराई का भी उनको देना पड़ता है। पानी की भी दिक्कत है। जयपुर के लिये कहना पड़ता है कि बिजली से पानी लेते हैं। लेकिन आज राजस्थान में ज्यादा शहर १५ हजार की आबादी से ज्यादा ऐसे हैं जिनमें बिजली की सुविधा नहीं है और जहाँ जहाँ यह सुविधा नहीं है वहाँ शहरों में सिचाई का खर्चा बनिस्बत बाहर से ज्यादा होगा और बाहर की आमदनी से कम आमदनी होगी और कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के विरोध में बोलते हुए यह निवेदन करूँगा कि जब तक इस प्रकार की चीज़ इसके अन्दर है इसको स्वीकार नहीं किया जावे।

श्री रामजीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, अभी दूसरी तरफ बैठने वाले सज्जनों ने दो-एक संशोधन रखते हुए कुछ ऐसी बातें सदन के सामने कहीं हैं उस सिलसिले में मुझे भी सदन के समक्ष कुछ कहना है।

आम चुनावों के बाद जब पहली दफा हम इस एसेम्बली में आये थे उस समय किसानों के फायदे के लिये यदि कोई कानून बन सका तो यही पहला कानून था। उस वक्त यह पास हुआ और कुछ वैधानिक दिक्कतों के होने से हाईकोर्ट ने उसे अवैधानिक करार दिया और अब यह हाउस के सामने है। सबसे पहली बात मैं यह कहूँगा कि माननीय सदस्य ने जो कहा उससे यह पता नहीं चलता कि वे किसानो के पक्ष में बोल रहे हैं या उनके खिलाफ। कभी किसानों के...

श्री गोपीलाल यादव—Fair distinction.

श्री रामजीलाल यादव—मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आज के युग में सरकार के और किसानों के बीच में जो एजेन्सी है उसको खत्म करने के लिये कोई समय लगता है तो उस बीच में किसानों को राहत मिलनी चाहिये। अलवर भरतपुर में रेक रेन्टींग (Reck renting) इतना था कि एक बीमा पर १२५, १५० रुपये होते थे। इस हालत को देखते हुए ही सरकार ने पहली एसेम्बली के सेशन में ही इसे पास किया। दूसरी तरफ बैठने वाले तरह-तरह के एमेन्डमेंट पेश करते हैं जिससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं। उधर से एक सदस्य ने यह बताया कि सिंचाई के सिलसिले में बिजली नहीं मिलने से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। फिलहाल जिस-जिस जिले में यह बिल लागू करना है, यह बिल अलवर और भरतपुर के लिए है, जिनकी आबादी १५ हजार से ज्यादा है

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

और वहाँ बिजली मौजूद है। जब पानी, बिजली और ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ कम देने पड़ते हैं तो ऐसी हालत में क्या एतराज होना चाहिये।

इसी तरह से बेवाओं के सिलसिले में और दूसरे सिलसिले में कहा गया कि उनको किसी तरह की रियायतें नहीं की जावे। मैं यह कहूँगा कि जो आदमी डिसएब्ल्ड हैं उनको थोड़ी बहुत सहायता दी जावे। मगर उनको सहायता देने में किसानों को किसी तरह से डिसएब्ल Disable नहीं किया जावे। इसलिये औरों से थोड़ी ज्यादा रियायतें दे दी हैं।

इसलिये मैं इन शब्दों के साथ यह निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज़ जिस सूरत में है उसी सूरत में पास किया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज के सम्बन्ध में कई बातें कही गईं। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि भरतपुर जिले में दो आना बीघा का लगान लिया जाता है और इसी प्रकार चार आना और छः आना भी कहीं-कहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि कहीं पर भी दो आना बीघा का लगान नहीं है। इसलिये बार-बार यह बात कही जाती है कि दो आना लगान है, यह गलत है। वहाँ पर भी उस जमीन को, जिसे हम चाही जमीन कहते हैं तीन रुपया और चार रुपया के आसपास लगान मिलेगा। फिर भरतपुर और अलवर के जिलों में यहाँ इसको लागू किया गया है। इसका मूल कारण यह है कि रेक रेन्टिग, जैसा कि एक सदस्य ने कहा कि चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे सामने यह प्रश्न था आखिर किस तादाद पर लगान तय किया जावे। अध्यक्ष महोदय, यह तय कर दें कि तीन गुना कर दें तो तीन गुना हो जावेगा और चार गुना कर दें तो चौगुना हो जावेगा। आखिर किस आधार पर हमको उसे मुकर्रर करना चाहिये ? गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के रीहेबिलिटेशन (Rehabilition) विभाग के अनुसार दुगुने लगान से ज्यादा वसूल नहीं करते और उसी बेसिस पर हमने दुगुने लगान की बात कायम की है। इसको लागू रखने के बाद में जो यहाँ शहर के पास का रकबा या जो डिसएब्ल्ड है, माइनर हैं, स्टूडेन्टस हैं; उनके लिये जो लगान रखा गया है उसके अन्दर दूसरी बातों का खयाल रखा गया है। एक तो जैसा अभी बताया गया कि केवल अलवर और भरतपुर के पास की जमीन पर कितना लगाने का प्रश्न आता है। पहले भी हमने इस चीज़ को एग्ज़ामिन किया था। उसके फिगर्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके एग्ज़ामिनेशन से स्पष्ट था कि अलवर और भरतपुर के रेक रेन्टिग का उसके मुकाबले में गाँवों में कम है। गाँवों में ज्यादा था। खर्च और दूसरा सभी कोई कन्ट्रोल नहीं था। एक आदमी जितना ज्यादा से ज्यादा पे (Pay) कर सकता था, करता था। हमने उचित लगान रखा है।

माइनर और दूसरों के लिए हमने इसलिये रखा है कि इनके पास कमाने का कोई दूसरा ज़रिया नहीं। इस क्लॉज़ को प्रिफ़रेन्स देते हैं कि अगर आप देखेंगे की दूसरी जगह मिल्ट्री परसोनल्स को भी दिये जाते हैं, मगर हमने इसमें नहीं कहा क्योंकि उनके दूसरे ज़रिये होते हैं। इसलिये उनकी एक लिमिट से हम इसको क्रोस करना नहीं चाहते। एक सदस्य महोदय ने कहा कि १२००) रु०

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

की लिमिट बहुत कम लिमिट है वहाँ तक सीमित किया जाए। इससे अधिक बढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा।

हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि मानवता की दृष्टि से सोचें कि क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे बड़ी मानवता का दृष्टिकोण यह मानता हूँ कि जो जो हाथों से खेती करते हैं उनको पहले सबसे ज्यादा फायदा हो। उसके बाद वास्तव में जो अधिकार हो सकता है उसको दूसरों से हम ज्यादा से ज्यादा अधिकार देते हैं; तो मैं समझता हूँ कि कोई गलती नहीं करते हैं।

दूसरों के बारे में जो प्रश्न आते हैं कि उनको फायदा पहुँचे कि जो महनत नहीं करे। मैं इस स्थिति के पक्ष में नहीं। मैं इस बात को एडजस्ट (adjust) भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन शायद वह उपयुक्त भी नहीं है कि कहीं एक कमाये और दूसरा उसका फायदा उठाने की कोशिश करे और फायदा उठावे। इसी चीज़ को दृष्टि में रख कर ही हम इस कानून को लाये और मैं समझता हूँ कि इससे आप लोगों को आगे बढ़ाने में, तरक्की करने में मौका देते हैं। जो लोग कमाते हैं उनको सब का सब देना पड़ जाता है और न वे अपने आपकी तरक्की कर सकते हैं और न अपने आपको आगे बढ़ा पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गई है कि यह चीज़ हाईकोर्ट में चली जावेगी। हमने इसको सोच-समझ कर रखा है। यहाँ एक पक्ष यह कहे कि वहाँ जाकर यह ठीक नहीं रहेगा और एक पक्ष यह कहे कि वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इस पर विचार करना सदन के दायरे के बाहर की बात है।

हमारे एक माननीय मित्र ने कहा कि १।६ बाँटा कर दीजिये या रेन्ट प्रोड्यूस कर दीजिये। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान में प्रोड्यूस रेन्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया जाय। प्रोड्यूस रेन्ट के दायरे में उसको लेने का मतलब आ जाता है जिसको स्वीकार करना, मैं समझता हूँ, असंभव है। इन बातों के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये हमारे दृष्टिकोण को समझते हुए जो अमेन्डमेन्ट्स उनके द्वारा रखे गये हैं वे या तो उनको वापिस ले लेंगे या सदन उनको नामन्जूर करेगा और जो क्लॉज़ है उसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—So I take that only one amendment motion by Shri H. K. Vyas has been moved,

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have moved two, Sir.

श्री अध्यक्ष—Only one f0r deletion of two provisoes.

The question is that the amendment motion for deletion of both the provisoes to clause 3 be accepted.

(अस्वीकृत)

Page No.39

[श्री अध्यक्ष]

The amendments are lost.

(विराम)

The question is that clause 3 stand part of the Bill

(स्वीकृत)

Clause 3 added to the Bill.

(विराम)

Now we come to clause 4. Shri H. K Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—[**1. In line 3 insert the following after 'behalf' :— "Either individually or collectively"**

2. Add at the end of the clause : "Provided that no fees or stamps shall be necessary for making such application"].

माननीय अध्यक्ष, वैसे मेरा खयाल है कि दोनों अमेन्डमेन्टस हैं वे एक ही प्रकार के शुमार किये जा सकते हैं, जिन्हें उसूलन कई दूसरे बिलों में हम कबूल कर चुके हैं और इस वजह से मेरा ख्याल है कि इस बिल में भी कुबूल करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्लॉज़ है, "conversion of kind rents into cash-rents" इसमें जो अर्जी देने की बात है वहाँ हमने यह प्रस्ताव दिया है कि यह शब्द उसमें और जोड़ दिये जावें और वह यह है "either individually or Collectively"। अगर एक पूरे गाँव की समस्या हो तो हर होल्डिंग के मालिक को या हर किसान को अलग-अलग अर्जी देने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए और ऐसा करना न तो व्यावहारिक ही है और न न्याय संगत ही। इसके साथ-साथ दूसरा प्रोविज़ो जोड़ने का मतलब यह है कि इस प्रकार की अर्जी के सिलसिले में कोई स्टाम्प अथवा फीस लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह तो सरकार को मदद करने का काम है। सरकार ने कायदा बनाया है कि दुगुना से ज्यादा लगान न लिया जाय। उस कायदे को लागू करने में और सरकार को सहूलियत देने में कोई यह आकर कहे कि 'फलां जगह काइन्ड में लगान है, केश में कीजिये" तो उस हालत में वह सरकार की मदद करने आवे और कहे कि इस प्रकार कीजिये तो उस अर्जी पर स्टाम्प लेना न तो न्यायोचित ही होगा और न वह किसानों को प्रोत्साहन देने वाला ही होगा। तो इन दोनों अमेन्डमेन्ट्स को काइन्ड रेन्ट के बजाय कैश रेन्ट हो और जहाँ जिस जगह इस प्रकार का लगान वसूल किया जाता है और गाँव वालों की दरख्वास्त हो तो उस पर स्टाम्प नहीं लिया जाय और तीसरा इन दोनों को मान लिया जाना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। माननीय मंत्रीजी से कहूँगा कि आप इस चीज़ को कानूनन मान चुके हैं, और विशेषकर समेरी सेटलमेन्ट बिल में। मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें भी इसको मान लेंगे।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के जरिये से हम ऐसा कानून बना रहे हैं जिस कानून का मतलब होगा काश्तकारों को मुकद्दमे बाजी की उलझन में फँसाना।

[श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़)]

अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त राजस्थान विधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ उस वक्त राजस्थान प्रोड्यूस रेन्ट रेगुलेटिंग एक्ट इस सदन के द्वारा पास किया गया और उसमें चौथे बांटे के स्थान पर छठे बाँटे को निर्धारित किया गया और दूसरा कानून जो हमने बनाया वह उन जमीनों के लिए था जिनमें लगान किस्मों में न लिया जाकर नकदी में लिया जाता है और उसके लिए यह बनाया कि वह नकद लगान सरकारी रेट से दुगना नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से या जल्दी से कानून बनाने के कारण से वह कानून राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा रद्द करा दिया गया और उस ही का सब्सटीट्यूट (substitute) हमारे समक्ष विचाराधीन है। एक तरफ हम चाहते हैं कि काश्तकार को इस कानून द्वारा राहत मिले लेकिन यह क्लॉज इस प्रकार का है कि इससे काश्तकारों को राहत नहीं मिलेगी बल्कि वकीलों को राहत मिलेगी। मैं मानता हूँ कि इस क्लॉज से वकीलों के लिए कोई गुन्जाइश नहीं रह जाती है किन्तु जब क्लॉज़ ४ की ओर ध्यान जाता है यो स्पष्ट मालूम होता है कि इस क्लॉज के जरिये से काश्तकारों को कितने मुकद्दमेबाजी का सामना करना पड़ेगा उनके बारे में कानून बना दिया गया है जो कि सारे राजस्थान में लागू है, अलवर भरतपुर में भी लागू है और वह उन जमीनों के लिए लागू है जहाँ किस्म में लगान लिया जाता है और वहाँ लागू नहीं है जहाँ नकदी के रूप में लगान लिया जाता है। अभी कानून बनाया है जिससे नकदी वालों के लिए एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। पहले कितना लगान ले सकते थे इसके लिए पाबन्दी नहीं थी और इसकी पाबन्दी के लिए कानून बनाया कि यदि नकदी में लगान लेते है तो दुगुना सरकारी रेट से ज्यादा न लें। तो एक प्रकार की दुविधा हमारे सामने है। तहसीलदार के सामने दरख्वास्त आती है कि अमुक काइन्ड रेण्टेड (Rented) एरिया है, इसका केश रेण्ट (Cash rent) बनाना है। दूसरी तरफ ⅙ बांटा लेने का अधिकार है और उस सिलसिले में तहसीलदार के पास दरख्वास्त आ जाती है। तहसीलदार मौके पर पहुँचेगा, उस जमीन को नपवायगा और एप्रेज़मेंट करके उसका डिवीजन कर देगा और फिर दूसरी तरफ काश्तकार पहुँचेगा कि इसको एप्रेज़मेंट नहीं हो, डिविजन भी नहीं हो, क्योंकि नया कानून निकला है जिसके जरिये से काइन्ड रेन्ट को केश रेन्ट में तब्दील कर दिया जाय। तहसीलदार के पास भी वह कानून है इसलिए उस काइन्ड रेन्ट को केश रेन्ट में तब्दील करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का डिस्क्रीशन तहसीलदार को देना ठीक नहीं और इस प्रकार कानून को जल्दी से बनाने के कारण उलझन पैदा हो सकती है। यह काश्तकारों के हित में नहीं, काश्तकारों को राहत पहुँचाने वाला नहीं। यह कानून एक प्रकार से काश्तकारों को उलझन पैदा करने वाला है। उसमें जो रखा है वह इस क्लॉज़ की चौथी लाइन को पढ़ने से साफ पता चलता है"......fix cash rents on the basis of assessed revenue rates in the adjoining settled villages for similar soil classes."

एक तरफ तो हमने यह लिख दिया है और उसके नीचे हमने (क्लॉज ५ में) यह लिखा है—

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

"The provision of Section 4 of this Act shall apply to those areas only which have been surveyed and for which circle rates have been assessed."

जिस जगह रेन्ट्स का असेसमेंट हो चुका है उस एरिया में परचे तकसीम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कार्यवाही से काश्तकारों को किसी प्रकार भी राहत मिलने वाली नहीं। हमने समेरी सेटलमेंट का कानून बनाया और अनसेटल्ड एरिया का किस प्रकार सेटलमेंट हो इस प्रकार का कानून हमने पास किया और कई जगह लागू किया और इसको लागू करने के लिए हमने राजस्थान के बजट में काफी रकम भी मन्जूर की तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब हमने समेरी सेटलमेंट के जरिए जिस वक्त रेंट्स निर्धारित हो जाती हैं तो उसके आधार पर परचे तकसीम करना आवश्यक समझा जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक महीना हो सकता है, दो महीने हो सकते हैं और इससे भी ज्यादा यदि ओब्जेक्शन्स हों तो उनके फाइल होने में हिअरिंग (hearing) में तीन महीने का समय लग सकता है। तीन महीने का समय प्रोड्यूस रेन्ट के वसूल करने में लग सकता है। तहसीलदार को पॉवर्स देते हैं ताकि वह मनचाहा कर सके। इस तरह से काश्तकारों को वकीलों के पन्जे में फंसाने की कार्यवाही की जाती है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह काश्तकारों को राहत देने के बजाय वकीलों के पन्जे में फंसाने की ओर ज्यादा अग्रसर है। हम तो यह चाहते हैं कि काश्तकारों को किसी न किसी प्रकार से इन वकीलों के पंजे से बचाया जाय। सारा का सारा अनाज पैदा करने के बाद, उस पर लगान के लगने के बाद जो अनाज मिलता है, जो उसके पास रहता है वह किसी न किसी प्रकार दूसरे के पास न चला जाय इसकी हमें कोशिश करनी चाहिये। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि, "on the basis of the assessed revenue rates in the adjoining settled villages" लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस क्लॉज ५ में साफ लिख दिया गया है "The provisions of Section 4 of this Act shall apply to those areas only which have been surveyed and for which circle rates have been assessed"

तो इसके रखने के बाद एडजोइनिंग रेन्टस की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें सब क्षेत्र आ जाते हैं; चाहे वह तहसील हो या पंचायती क्षेत्र हो, सब आ जाते हैं। जब तक इस कानून में इस प्रकार की तजवीज करने का सवाल आता है इस क्लॉज को पास नहीं किया जाय। काश्तकारों को हम किसी तरह लगान से राहत देते हैं तो हमें वकीलों से भी पिण्ड छुड़ाकर उनको राहत देने में कमी नहीं करनी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, अभी हमारे माननीय मित्र ने कहा कि किसानों को लगान और अन्य तरह से लाभ पहुँचाने के साथ-साथ वकीलों से राहत पहुँचाने की बातें भी सोची जानी चाहिये। मैं समझता हूँ कि इस कानून में जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया है वह सीधा प्रोसीजर है। इसमें किसी को वकीलों के पंजे में फंसाने का सवाल ही नहीं आयेगा, किसानों के द्वारा दरख्वास्त देने पर या खुद तहसीदार वहाँ पर केश रेन्ट्स इन्टोड्यूस (Cash rents introduce) कर सकता है। केश रेन्ट इन्ट्रोड्यूस करने में एक अधिकार दे दिया गया है जो आस-

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

पास के सोइल क्लासिफिकेशन के मुताबिक वहाँ की रेन्टस को कायम किया जाय। इसका एप्लीकेशन सीमित कर दिया गया है, उसके अनुसार लागू कर दिया जाय। दोनों चीजें अलग-अलग हैं, इसलिए इन दोनों चीजों को अलग-अलग देना आवश्यक है।

इस पर कॉम्पलीकेट का जो ख्याल किया जाता है, एक तरफ एक आदमी कहता है कि प्रोड्यूस रेन्ट्स १-६ असेस करवाया जाय, दूसरा तरीका यह होगा केश रेन्टस के हिसाब से करवाया जाय। तो अध्यक्ष महोदय, इस कानून को कहाँ लगाया जाय, कहाँ नहीं, उस समय अवश्य ख्याल रखा जाता है। जिस एरिया के अन्दर लेन्ड रेवेन्यु है और रेन्टस वसूल होतेहैं, काश्तकारों से वहाँ प्रोडयूस रेन्ट का सवाल नहीं होता। अलवर जिले को ले लीजिये। सारे जिले का सर्वे हो चुका है। जागीरी एरिया है, जहाँ पर रेन्टस इन्ट्रोडयूस नहीं हुए लेकिन सर्वे हो चुका। उस इलाके में कोई इस बात की दिक्कत नहीं कि वहाँ पर केश रेन्ट्स इन्ट्रोड्यूस किया जावे।

अलवर-भरतपुर जहाँ यह कानून करीब दो साल से चला आ रहा है, वहाँ काश्तकारों को वकीलों के जरिये कोई बड़ी परेशानी पैदा हुई हो, ऐसी बात नहीं। उन लोगों के साथ जहाँ यह रेन्ट्स फिक्स होते हैं एप्रेजमेंट के लगातार झगड़े रहते हैं, काइन्ड के नहीं रहते। इससे सहूलियत पैदा होती है। कानूनी झगड़े ज्यादा न हो इस बात से हम भी सहमत हैं। मैं चाहता हूँ कि वे माननीय सदस्य वहाँ जाकर देखें, जहाँ इसका एप्लीकेशन हुआ है। पूरी जानकारी करें तो उनको सन्तोष होगा कि मुकद्दमेबाजी से किसानों को वहाँ परेशान नहीं होना पड़ा।

जो एक माननीय मित्र ने कहा कि चाहे इन्डिवीज्युल या कलेक्टिव (Collective) दर्ख्वास्त करें, इस बात को रखने की आवश्यकता नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने एक विशेष बात और कर दी है कि तहसीलदार खुद अपने आप किसी इलाके के लिए यदि आवश्यक समझे तो एक या दो दर्ख्वास्त के या दरख्वास्त के बिना भी उन इलाकों में केश रेन्टस लगा सकता है। इसलिए इन चीजों को लेने से कोई खास फायदा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। मुझे उनकी भावना से विरोध नहीं कि चाहे वह इन्डिविज्युअल कार्यवाही करे या सब मिलकर, क्योंकि वहाँ पर तहसीलदार को हिदायत की हुई है कि जहाँ वह चाहे उस जिले के अन्दर केश रेन्ट्स लागू कर सकता है। मैं इस संशोधन को आवश्यक नहीं समझता हूँ।

दूसरा सवाल रहता है स्टाम्प्स की फीस न लगे। इसके लिए अगर हम इस अमेन्डमेंट को लेते हैं तो हमें स्टाम्प्स कानून में भी संशोधन करना होगा, फिर यह तो मामूली आठ आना ही है। जबकि वह इतना रेन्ट देता है तो क्या वह इतनी फीस भी बर्दास्त नहीं कर सकता? यह तो मामूली बात है। ऐसा कोई भार नहीं जो वह सहन नहीं कर सके और यह तो एक बार ही देनी पड़ती है और वह भी उस समय जब कि वह काइन्ड को केश में बदलवाना चाहता है। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है, जिन्होंने यह संशोधन रखे हैं, वे यह अनुभव करेंगे कि इनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं इसलिए वे अपने संशोधनों को वापिस ले लें। मैं इनको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष जी, मैं दोनों अमेन्डमेन्ट को प्रेस नहीं करना चाहता। मैं इन्हें वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपने दोनों अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड धारा ४ विधेयक का अंग बना।

खण्ड ५

श्री हरिकृष्ण व्यास—(Delete clause 5)

माननीय अध्यक्ष, खण्ड ५ में मेरा अमेन्डमेन्ट बहुत ही सीधा है और वह यह है कि खण्ड ५ को हटा दिया जाय।

मेरा थोड़ा-सा काम सदन के इधर बैठने वाले मेरे एक मित्र ने पूरा कर दिया, जब कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खण्ड ४ में जब "Assessed revenue rates in the adjoining settled villages for similar soil classes" का जिक्र है तो उन्होंने खण्ड पांच की ओर इशारा करके इस बात पर जोर दिया कि वह खण्ड पांच में जो लिखा है उसको कायम रखना चाहिये और खण्ड ४ में से इस हिस्से को निकाल देना चाहिये।

इस प्रकार व्यवहारिक दृष्टि से खण्ड चार और पांच का कुछ अन्तर उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किया। पर मैं इस खण्ड को और डेवलप करूँ। जिन इलाकों के लिए यह कानून हम बना रहे है उनमें बीच-बीच में कुछ आइलेन्डस (टापू) पड़ते हैं जहाँ शायद आज भी रेंट इन काइन्ड (rent in kind) होता है। बाकी उन डिस्ट्रिक्ट में सब जगह रेन्ट इन कैश (rent in cash) हो चुका है और अब प्रश्न यह है कि जिस इलाके के अन्दर कैश रेन्ट मुकर्रर होकर सर्वे या सेटलमेंट हुआ, यदि मान लें कि वहाँ सर्वे और सेटिलमेन्ट होने के समय चूँकि जागीरी पोर्शन को सर्वे और सेटिलमेंट में लेने का कोई इरादा नहीं था इसलिए उन्होंने अपने सर्किल बनाते समय उन पोर्शन्स (भागों) को अपने सर्किल के मातहत दर्ज ही नहीं किया। मुमकिन यह हो कि वह पाँच, दस, पन्द्रह या बीस मील के इलाके में हो, मुमकिन यह भी हो सकता है कि सोइल रेट्स सिमिलर (समान) हों, मुमकिन यह भी हो सकता है कि बिलकुल उस एरिया में एक ही तरह की पैदावार करने वाली जमीन हो लेकिन फिर भी महज इस वजह से कि वह बात जब सर्किल बने थे उस समय उसके अन्दर नहीं आ सकी, जागीरी का हिस्सा इन्क्लूड नहीं किया गया, महज इस वजह से कि वह जागीरी एरिया था इस कानून से होने वाले फायदे से वन्चित रह गये।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसलिए यदि सरकार की या इस कानून के प्रस्तावक महोदय की इच्छा यह है कि जो मुकर्रर शुदा आधार है लैंड रेवेन्यू का, जिसे खालसे का एरिया या इलाका कहते हैं, जिससे खुद सरकार लगान वसूल करती है उसमें जो मुकर्रर है लगान उस किस्म की जगह उतना ही लगान जागीरी एरिया में भी मुकर्रर हो जाना चाहिये और इस मुकर्रर शुदा रकम से ज्यादा रकम लगान के रूप में न लें। यह मंशा है तो यह मन्शा खण्ड चार से पूरी हो जाती है जिसमें यह दर्ज है कि ......"Revenue rates in the adjoining settled villages"......

अब यह काम तहसीलदार अथवा कलेक्टर का रह जाता है कि वह "एडजोइनिंग" शब्द का अर्थ ठीक तरह से लगावें। अर्थात् अगर एक ही किस्म की जमीन चल रही है और एक ही तरह की भौगोलिक स्थिति चल रही है, चाहे उसमें पन्द्रह-बीस मील की दूरी भी क्यों न पड़ती हो पर फिर भी एडजोइनिंग एरिया में भी अगर एक सरीखी जमीन है तो वह भी इस कानून का फायदा पाने का हकदार है चाहे वह एरिया खालसा का हो या जागीरी का और जो कि सर्वे या सेटलमेन्ट में आ चुका हो या न आ चुका हो। इसलिए वहाँ यह कानून लागू होगा और यदि हमने खण्ड पांच को वैसा ही कायम रक्खा तो केवल एक टेक्निकल कारण से काफी इलाके को इस कानून का फायदा न मिल पावेगा। वे इस कानून के फायदे से वन्चित रह जावेंगे। इसलिए खण्ड ४ में जो शब्द हैं इन्हें पर्याप्त मान कर खण्ड ५ को रद्द कर किया जावे अथवा इसे इस बिल में से हटा दिया जावे। इस मन्शा का मेरा यह अमेन्डमेन्ट है और मैं इसको सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री सुखाड़िया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया [राजस्व मन्त्री]—अध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट रक्खा गया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, कारण कि अगर हम ऐसे इलाके को ले लें जो कि मेरे खयाल से शायद कहीं नहीं है, थोड़ा बहुत अलवर में हो, भरतपुर में तो निश्चित तौर से ऐसा नहीं है, कोई इलाका जहाँ कि सर्वे और सेटिलमेंट न हुआ हो; लेकिन सर्वेड होकर यह मुमकिन हो सकता है कि circle rate न हो। अलवर में कुछ ऐसा है पर हमने वहाँ काफी हिस्से में पूरा कर लिया है सर्वे और सेटिलमेन्ट का काम। अगर हम सीधे, जो इस तरह के इलाके हैं उनमें भी कैश रेएट इन्ट्रोड्यूस कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि वह भी वाजिब नहीं होगा। इसलिए उन इलाकों में जो बहुत कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, हमने इस वर्ष वहाँ भी सर्वे और दूसरा सेटिलमेन्ट का काम शुरू करवा दिया है जिससे वह दिक्कत जो बताई जा रही है वह भी दूर हो जावेगी। पर बिना सर्वे किये और वहाँ की हालत को जाने बिना अगर हम इस बात को तय करने लग जावेंगे कि वहाँ भी सिमिलर सोइल [समान मिट्टी] है तो मैं समझता हूँ कि इससे ठीक परिणाम नहीं निकलेगा और इसके लिए गलत निर्णय न हो जावे इसलिए इस क्लॉज को अवश्य रक्खा जावे, यह हम मानते हैं।

ऐसे बहुत ही कम इलाके हैं इसलिए इस क्लॉज को रखना आवश्यक है कि जिससे हमारे लिए एक ठीक आधार भी यह बनता है। इसलिए इस अमेन्डमेन्ट को अगर स्वीकार कर लिया जावे तो इससे कोई बहुत बड़ी खास तरह की गुंजाइश हो सकती है सोइल के किस्म पर निर्णय करने के

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बारे में, यह मैं नहीं मानता। ज्यादा गलती भी हो सकती है बिना सर्वे और बिना सेटलमेन्ट के किये। कौन-कौन गलतियां हैं, ये सब जाने बिना एडजोइनिंग एरिया में इसे लागू कर देना उचित नहीं होगा, इसलिए यह धारा रहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—[श्री हरिकृष्ण व्यास से] Do you press your amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment motion moved by Shri H. K Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड ५ विधेयक का अंग बना।

खण्ड ६

श्री हरिकृष्ण व्यास— ......I forgo my amendment.

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—(Delete clause 6)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज जिसमें एक्सेस रेन्ट के रिफन्ड के बारे में सुविधा दी जा रही है यह अपने प्रकार की एक ही है। मैं समझता हूँ कि किसी कानून को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किये जाने के बाद उस कानून के अमल-दरामद के फलस्वरूप जो भी रकम का लेन-देन हुआ है या जो रकम बाकी रह गई है उस बाकी रही हुई रकम को रिफण्ड करने (लौटाने) के सम्बन्ध में हम इस प्रकार का यदि कानून बनाते हैं तो ऐसा कानून आज बहुमत के आधार पर जरूर पास किया जा सकता है और मैं समझता हूँ कि वह पास भी होगा, लेकिन इससे हम इस प्रकार की गलत परिपाटी कायम कर रहे हैं जिसके कारण से कोई भी कानून चाहे गलत होकर उसका अमल-दरामद दुनिया पर हो जावे, दुनिया परेशान होकर हाईकोर्ट में चैलेंज करे और हाईकोर्ट उसको रद्द कर दे। इससे जो बढ़िया कन्वेन्शन हमारे यहाँ के हैं उस पर कुठाराघात होगा।

अब मैं यह बात मानने के लिए तैयार हूँ अध्यक्ष महोदय, कि इसके जरिये काश्तकारों को सुविधा मिलेगी और मैं इस बात का भी विरोध नहीं करता हूँ कि काश्तकारों को जितनी राहत दी जा सके उतनी न दी जावे, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि राहत देने का एक प्रकार का कोई ठीक-सा

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

कानून बने और रास्ता ठीक निकले। हमने यदि जिस तकाजे में कानून पास किया था पहले उससे हमारी यही मंशा थी कि काश्तकारों को राहत मिले और उससे हमने इसका दूसरा सब्स्टीट्यूट पास कर दिया था, पर वह हाईकोर्ट से रद्द कर दिया गया। फिर आज वही गलती इस कानून को बनाते समय हम कर रहे हैं। अगर जनता को किसी प्रकार से राहत मिल सकती है तो वह राहत मिलती है हाईकोर्ट से और अगर इस कानून के बावजूद भी हम इस प्रकार के क्लॉजेज़ बनाते हैं तो माननीय अध्यक्ष, मुझे यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि हाईकोर्ट के फैसलों की हमारे इस सदन में कोई वकत नहीं। एक दफा हाईकोर्ट ने रद्द करार दे दिया किसी कानून को तो उसके जरिये से विशेष इम्प्लीकेशन्स होते हों, उसके इम्प्लीमेन्टेशन से किसी प्रकार के लिटीगेशन बढ़ते हों तो उन लिटीगेशन्स की रोकथाम के लिए इस प्रकार का स्टेप लें तो मैं बुरा नहीं बताऊँगा, लेकिन काश्तकारों को राहत पहुँचाने की आड़ में, हाईकोर्ट के न्याय को, जनता को जो हाईकोर्ट से राहत मिलती है उस राहत को बलाये ताक में रखने की इस तरह की योजना बनाई जाती है, अध्यक्ष महोदय, तो किसी प्रकार शोभनीय नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार दुनिया को मालूम होगा कि राजस्थान विधान सभा द्वारा कोई गलत कानून बनाया गया वह हाईकोर्ट में चेलेन्ज किया गया और चेलेन्ज करने के बाद में कानून रद्द करार दे दिया गया, लेकिन वह सरकार अपने गलत तरीके के ऊपर कायम बने रहने के कारण उस कानून के इम्प्लीमेन्टेशन को, उस गलत कानून को जिस तरीके से वह लागू हुआ है उस तरह से वह लागू रखना चाहती है तो वह किसी प्रकार से प्रजातन्त्रीय नहीं कहा जाना चाहिए। वह काश्तारों को राहत पहुँचाने की आड़ में प्रजातन्त्र के ऊपर कुठाराघात है।......

श्री अध्यक्ष--इसी क्लॉज पर बहस करें।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)--जी हाँ, इसी क्लॉज पर बहस कर रहा हूँ। एक्सेस रेन्ट के रिफन्ड की यह रूप-रेखा बताई है। रिफन्ड क्यों किया जा रहा है ?

इसमें बताया गया है कि--

"All rents paid in excess of the maximum rent prescribed under this Act shall be recovered by the tenant from the landholder on an application being made by the tenant to the Tehsildar in this behalf for recovery of the same."

अध्यक्ष महोदय, इन चारों लाइनों को पढ़ने के बाद में जब आगे की क्लॉज की ओर ध्यान जाता है तो यह बात मिलती है कि जो प्रेस्क्राइब्ड रेन्ट्स हैं, वह रेन्ट्स उस तरह से लगे हुए हैं जिस तरह से वह गलत कानून जिसको हाईकोर्ट ने रद्द करार दे दिया था, वह कानून लगा था और उसके बाद से लेकर अब तक जितना भी लगान काश्तकारों द्वारा लैन्ड होल्डर्स को मिला है और वह उससे ज्यादा ले लिया है तो उसको रिफन्ड कराने का इस प्रकार का प्रोवीजन रखा है।

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

कानून बना और कानून बनने के बाद में हाईकोर्ट में चेलेन्ज हुआ, हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर (Stay order) इसके लिए दिया; इस बात का स्टे ऑर्डर दिया कि इस कानून के जरिये से जो लगान लिया जा रहा है वह लगान का जो तरीका है उसको रोक दिया जाय, लेकिन आज उसके रिफन्ड का प्रोवीजन महज इसलिए रखा है कि जितना भी लगान उस कानून के लागू होने के बाद में लिया जा रहा है उसको वापिस दिला दें। काश्तकारों ने लगान दिया, गलत कानून के अनुसार लगान दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने स्टे ऑर्डर ओब्टेन किया है उन लोगों के लिए विशेष तौर से यह प्रोवीजन रखा गया है। इसका मतलब यह है कि स्टे ऑर्डर्स की कोई वकत नहीं है। हाईकोर्ट से किसी को जो राहत मिली है उसकी कोई वकत नहीं। अध्यक्ष महोदय, राहत की आड़ में आज यह चीज किसानों को नुकसान पहुँचा सकती है। आज काश्तकारों पर दुनिया भर में टेक्सेज़ लगाये जा रहे हैं। ऐसे और भी टेक्सेज़ बराबर हाईकोर्ट में आकर अवैध हो गये हैं। उनमें काश्तकारों को राहत क्यों नहीं पहुँचाई जाती है? इस प्रकार के कानून से आज काश्तकारों को राहत पहुँचाई जाती है तो कल इसी प्रकार के कानून से दुनिया भर के टेक्सेज़ उन पर लगाये जा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि अलवर और भरतपुर के किसानों को राहत पहुँचाई जाती है। इस परिपाटी के जरिये से तो गंगानगर के काश्तकारों को नुकसान हो सकता है, जोधपुर के काश्तकारों को नुकसान हो सकता है, जो कई प्रकार के टेक्सेज़ का विरोध कर रहे हैं, सीकर और झुंझनू के काश्तकारों को जो कि डिस्ट्रिक बोर्ड का सेस देने का विरोध कर रहे हैं, नुकसान हो सकता है। आज अलवर के काश्तकार जो कि सरकार के बढ़ते हुए टेक्सेज़ या अन्य किसी नीति के कारण से टेक्सेज का विरोध कर रहे हैं, उस वक्त रिफन्ड का कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन जहाँ जागीरदारों को नुकसान पहुँचाने का सवाल आता है, महज उनको नुकसान पहुँचाने के लिए, काश्तकारों को राहत पहुँचाने की आड़ में, इस प्रकार का कानून बना देते हैं। काश्तकारों को राहत देनी चाहिए और मुझे राहत देने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस तरीके से दुख है और इस परिपाटी से दुख है, यह परिपाटी कि इस कानून से काश्तकारों को राहत दी जा रही है, यह खराब है। आप काश्तकारों को जितनी राहत देना चाहें, दें; लेकिन काश्तकारों को राहत देने की आड़ में अगर इस प्रकार के कानून बनाते हैं और यह गलत कानून कभी काश्तकारों पर भी लागू हो सकते हैं। तो, यह गलत है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा एमेंडमेंट है कि इस क्लॉज को पास नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष--आपका यह एमेंडमेंट पढ़ दूँ ताकि पोजीशन क्लियर हो जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष—"Delete Clause 6" - that is the amendment.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--माननीय अध्यक्ष, शायद एमेंडमेंट क्या है, यह पता नहीं।......

श्री अध्यक्ष—"Delete Clause 6."

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (अपना भाषण जारी रखते हुए)—लेकिन, जो उन्होंने भाषण दिया वह ऐसा लगा कि वह जनरल डिसकशन इस क्लॉज पर न होकर कुल मिलाकर जनरल डिस्कशन है। जहाँ आपने सारी की सारी बातें कहीं अभी कुछ देर पहले यह कहा था कि किसानों को मुकद्दमेबाजी से बचाया जाय और वकीलों के जरिये से जितना ज्यादा उनको बचना पड़े उतना अच्छा है। उसको देखते हुए, होना तो यह चाहिए था कि इस खण्ड का, इस बिल का समर्थन करते- जिसमें यह कहा गया है कि ज्यादा लिया गया है उसको वापिस लेने के लिए केवल एक तरफा कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की धारा के बारे में आपने कहा कि हम तो हाईकोर्ट को भी टालना चाहते हैं और उस न्याय को अन्याय के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। मैं यह सारी बातें समझ नहीं पाया। हाईकोर्ट ने कुछ टेक्निकल ग्राउन्ड्स के ऊपर इस कानून को अवैध घोषित किया। उसका पूरे तौर से सम्मान करते हुए, उसकी पूर्ति करते हुए हमने दूसरा कानून जिसकी नीति का कहीं भी खण्डन नहीं किया गया है उसी को कायम रखने के लिए दूसरे कानून को रखा और उसको सदन के सामने रखा है। मैं समझता हूँ कि मूल में दरअसल इस बात को कहना है, इस धारा का विरोध न कर कुछ सदस्य यहाँ किसानों को राहत पहुँचाने की बात का विरोध करते हैं कि राहत क्यों पहुँचाई जाय। सीधे में बात न कहकर यहाँ हाईकोर्ट की बात कही जाय, व वकीलों की बात कही जाय, उन बातों की टेढ़े-मेढ़े रास्ते से पूर्ति करते हैं। हम इस बात को सिद्धान्ततः स्वीकार करते हैं और जब यह तय कर दिया जाता है कि इतना वसूल करना वाजिब है, उसके बाद में ज्यादा लिया जाय उसको अगर किसान वापिस माँगते हैं तो उसके माँगने के लिए एक सिम्पल तरीके की धारा इसमें लगाई जाती है तो उसका विरोध क्यों होना चाहिए ? उसका स्वागत करना चाहिए माननीय सदस्य को। इसी दृष्टि से इस खण्ड को यहाँ पर रखा गया है। मैं आशा करता हूँ कि वह स्वयं अनुभव करेंगे कि कुछ देर पहले जो बात कही है उसको खयाल में रखते हुए कुछ विरोधाभास उनकी बातों में आ रहा है और इस धारा के बारे में जो एमेंडमेंट रखा है वह स्वयं अपनी बातों की कन्टीन्युइटी रखने के लिए उसको विद्ड्रॉ कर लेंगे।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)--मैं अपने एमेंडमेंट को मूव्ड (moved) समझूँ। मुझे इसका जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर ! ऑर्डर ! आप चाहें तो इसको प्रेस कर सकते हैं।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)--यदि इसको मूव समझा जाय तो मुझे जवाब देन चाहिए।

श्री अध्यक्ष—Very clear. There is nothing to reply. They want deletion of this clause. It is as clear as broad day-light, it requires no speech.

(विराम)

आप चाहें तो मैं रख दूँ इसको वोट के लिए।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—जो माननीय मन्त्री महोदय ने अभी बताया उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—You have said so many things which are quite irrelevant.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—And that, Sir, I have not replied.

श्री अध्यक्ष—I put it to vote. The question is that the amendment moved by Shri Bhairon Singh regarding deletion of the Clause be accepted.

(मत-दान के पश्चात् श्री भैरूँसिंह खड़े हुए)

(श्री भैरूँसिंह से) You want Division ?

श्री भैरूँसिंह—No, sir.

श्री अध्यक्ष—The Noes have it. The amendment fails.

(विराम)

The question is that Clause 6 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 6 is added to the Bill.

(विराम)

Now Clause 7. (श्री भैरूँसिंह से) Do you want to speak regarding deletion of the Clause—

श्री भैरूँसिंह— इस का पहले ही जवाब मिल चुका है, इसलिये इस पर डिस्कशन करने का सवाल नहीं पैदा होता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ७, ८ और ६ स्वीकार किये जाँय।

(स्वीकृत)

खण्ड ७, ८ और ६ बिल में अंग रूप से स्वीकार किये गये।

(विराम)

क्लॉज १, श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष,......

श्री अध्यक्ष—Very simple amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Probably very difficult to accept.

श्री अध्यक्ष—May be.

श्री हरिकृष्ण व्यास—[1. In sub-clause (3) line two delete the word 'and' occurring between "Alwar' and "Bharatpur" and insert after Bharatpur the following words : "and Ganganagar".

2. Similarly similar amendment may be made in preamble.]

मेरा अमेन्डमेन्ट जैसा कि अभी आपने फरमाया सिंपल है; वह यह है कि यह जो कानून अलवर और भरतपुर दोनों जिलों में लागू किया जा रहा है उसे गंगानगर जिले में भी लागू कर दिया जाय। वैसे तो अमेन्डमेन्ट बड़ा सिंपल है लेकिन मैं नहीं कह सकता कि इसे मन्जूर करना भी सिंपल है या कठिन; लेकिन सिंपल ही होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Simple things are very difficult to adopt.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस बात में तो दो राय नहीं हो सकती, और कम से कम मेरी राय में तो नहीं ही हो सकती कि यह कानून किसानों को राहत देने वाला कानून है। इसमें कोई शक नहीं। अभी कुछ देर तक जब मैं सुन रहा था तो माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि जब से हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया तब से राहत मिलना बन्द हो गया। मुझे अफसोस है कि इस "राहत" शब्द से मेरा एग्रीमेंट उनसे नहीं हो सकता, इसलिए कि राहत किसको दी गई। यह टेक्निकल ग्राउण्ड्स पर रद्द किया गया था। इससे राहत मिली बिस्वेदारों को, जागीरदारों को; जिन लोगों के लिये यह कानून है उनको राहत नहीं मिली। इस वजह से जितनी जल्दी कानून का फायदा लागू किया जाता अच्छा होता। इस बात पर सरकार का ऐतराज करना किसानों के हित में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Come to the present amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am coming to the present amendment. First of all I wanted to...

श्री अध्यक्ष—These are obiter dicta which your friend may feel.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He would not feel.

श्री अध्यक्ष—Then you withdraw ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—No.

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यदि यह कानून राहत देने की दृष्टि से बनाया गया है तो इसे उस इलाके में भी लागू करना चाहिये जहाँ इस प्रकार की राहत की आवश्यकता है और वह इलाका है गंगानगर का। यह सही है कि राजस्थान में अलवर, भरतपुर और गंगानगर को छोड़ कर बाकी सब जगह जो लेंड सिस्टम है वह दूसरी किस्म का है इसलिए बाकी हिस्सों में इस कानून को लागू न करने के कुछ कारण हो सकते हैं लेकिन गंगानगर में जो रेन्टिंग हो रही है वह एक प्रकार की बिस्वेदारी सिस्टम अलवर-भरतपुर की तरह का नहीं है बल्कि पंजाब की तरह की जमीनदारी चालू है और ऐसी हालत में वहाँ के लिये लगान पर पाबन्दी रखने वाला कानून मुफीद हो सकता है। मैंने ऐसा सुना है कि पिछली बार जब यह कानून बना था और ओरिजिनल ड्राफ्ट बना था तो उसमें अलवर-भरतपुर के अलावा गंगानगर का नाम भी था। यह बात कहाँ तक सही है, यह मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन सुना है कि गंगानगर का नाम बाद में हटाया गया। कुछ कारणों से नाम हटाया गया। मेरा ख्याल है कि जिन कारणों से वह नाम हटाया गया वे कारण मौजू नहीं हैं। वे पार्टी के लिए मददगार हो सकते हैं लेकिन इस कानून का उद्देश्य है किसानों को राहत देना और उसे वहाँ लागू न करना किसानों के हित में कतई ठीक नहीं था। उस बार तो शायद इसलिये भी किया गया हो कि दो-चार सदस्यों की राय की न्युमरीकल वेल्यू (numerical value) भी थी। लेकिन अब न्युमरीकल कीमत भी इधर बैठने वालों की इतनी नहीं रही है और एक-दो की उधर कमी हो भी जाय तो भी परिस्थिति में कोई अन्तर आने वाला नहीं है। ऐसी हालत में इसे गंगानगर में क्यों न लागू किया जाय, इसका मुझे कोई कारण नजर नहीं आता। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में कहूँगा कि इस प्रश्न के बारे में सदन की ओर ध्यान रखें, गरीब किसानों की ओर ध्यान रखें और अपने पीछे बैठने वाले मित्रों की भावना का ध्यान रखें जो कि इस कानून के पक्ष में हैं। यदि आप उनको छूट दे दें तो वे जरूर इसे लागू करने के पक्ष में होंगे। जिस इलाके में ऐसा रेक रेन्टिंग है उसमें इसे लागू न करना अच्छा नहीं है। इसलिये मैं दरख्वास्त माननीय मन्त्रीजी से और यदि वे न मानें तो सदन के सदस्यों से करूँगा कि इस कानून को गंगानगर जिले में भी लागू किया जाय।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, जिन जोरदार शब्दों में मेरे मित्र श्री एच० के० व्यास ने इस अमेन्डमेन्ट को पेश किया है उतने ही जोरदार शब्दों में मैं इसका विरोध करता हूँ (हियर, हियर)। मेरे मित्र श्री एच० के० व्यास नहीं जानते कि राजस्थान में गंगानगर की क्या हालत है ?

श्री अध्यक्ष—A member should be addressed by the constituency.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I do not know.

श्री चन्दनमल वैद—Jodhpur.

कु० श्री जसवन्तसिंह—The Hon'ble Member from Jodhpur.

(विराम)

जितने जोरदार शब्दों में उन्होंने इसे पेश किया, उतने ही जोरदार शब्दों में मैं इसका विरोध करता हूँ। गंगानगर की स्थिति निराली है। यदि आप वहाँ जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि किस स्थिति में वहाँ के लोगों ने जमीन खरीदी है और जो सदस्य गवर्नमेंट के पक्ष के गंगानगर से आये हैं वे लैंडलोर्ड नहीं हैं, वे भी काश्तकार हैं। गवर्नमेंट को इसे गंगानगर में लागू करने की आवश्यकता नहीं है। अलवर और भरतपुर की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। भरतपुर और अलवर में दूसरे किस्म की बिस्वेदारी है। वहाँ रेक रेन्टिंग मुमकिन हो सकता है लेकिन गंगानगर में प्रोप्राइटरी राइट्स एक्वायर किये गये हैं। एक-एक मुरब्बा जमीन के १५-१५ या २०-२० हजार रुपये देकर जमीन ली गई है। भरतपुर अलवर में जो जमीन आई है वह बहुत कम खर्च करने पर आई है। यदि दोनों का मुकाबला करके देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर रेक रेन्टिंग इतनी ज्यादा तादाद में और इतनी हद तक, जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया, गंगानगर में मुमकिन नहीं हो सकती और इससे किसानों को राहत भी ज्यादा नहीं मिल सकती। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि यदि गंगानगर को भी इसके शामिल किया गया तो स्थिति पहले से भी नाजुक हो जाएगी।

श्री गोपीलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र व्यासजी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आप उनका नाम न लेकर कॉन्स्टीट्युएन्सी का नाम लीजिये।

श्री गोपीलाल यादव—वे शायद जोधपुर से आये हैं।

(विराम)

मुझे निवेदन यह करना है कि मेरे एक मित्र ने कांग्रेस बैंच से यह फरमाया कि किसानों की भलाई के लिए यह चीज रखी गई है और उनके यह समझ में नहीं आया कि मैं किसानों की भलाई के लिए कह रहा था या किसानों के विरोध में कह रहा था।

मैं मेरे उन मित्र से कहूँगा कि अब वे समझ लें कि मैंने भी किसानों की भलाई के लिये ही कहा था।

जिस वक्त भरतपुर और अलवर के किसानों की भलाई के लिये सोचते हैं तो सारे राजस्थान के किसानों की भलाई को भी नहीं भूलना चाहिये। मन्त्री महोदय सारे राजस्थान के किसानों की भलाई के लिये न सोच कर केवल भरतपुर और अलवर के किसानों की भलाई के लिए ही सोचें तो मुझे उनकी इस मोहब्बत पर शुबहा होने लगता है। सौतेली माँ बच्चे से प्यार करे तो समझ लो कि वह

[श्री गोपीलाल यादव]

उसको मारना चाहती है। (हँसी) भरतपुर के किसानों को यदि मुझसे ज्यादा मेरे मित्र प्यार करना चाहें तो वह नहीं हो सकता।

लेकिन मेरा निवेदन यह है कि वास्तव में इसके पीछे एक बात है और वह बात यह है कि एक बिस्वेदार जो काश्तकार भी है उसके पास २५-५० बीघा जमीन आमतौर से है, माफीदारों के पास भी उतनी ही जमीन आमतौर से है और उन लोगों ने इलेक्शन में मेरे मित्र की पार्टी को वोट नहीं दिये, बिस्वेदारों ने और माफीदारों ने आम तौर से मेरे मित्र की पार्टी का विरोध किया। जो लोग, मेरे मित्र की पार्टी के कामयाब होकर आये वे उन लोगों के वोट से आये जिनके पास एक भी बीघा जमीन नहीं है। इसीलिये यह सब कुछ भरतपुर अलवर में किया गया है। इस भावना से यह सब कुछ किया गया है। यदि इसमें किसानों की भलाई हो तो मैं धन्यवाद देने को तैयार हूँ।

गंगानगर का सवाल मेरे मित्र ने किया। वहाँ डेढ़ हजार, दो हजार रुपया तक फी मुरब्बा लिया जाता है; १००) रुपया, २००) रुपया और यहाँ तक कि ५००) रुपया तक एक बीघा जमीन पर गंगानगर में लिया जाता है, उसे रेक रेंटिंग कन्ट्रोल में नहीं लिया गया। इसकी वजह यह है कि गंगानगर से जो लोग आये हैं, वे उन लोगों के वोट पर आये हैं और उनके खुद के पास कई मुरब्बा जमीन है, इसलिए वे कहते हैं कि अगर रेक रेंटिंग कन्ट्रोल गंगानगर पर लगाया तो हम कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। यही वजह है कि रेक रेंटिंग कन्ट्रोल अलवर-भरतपुर में लगाया गया है और गंगानगर पर नहीं लगाया है।

जैसा कि मेरे मित्र लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन, श्री जसवन्तसिंहजी ने कहा कि वहाँ गंगानगर में बहुत रुपयों से जमीन खरीदी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें कैसे मालूम कि भरतपुर और अलवर में जमीन को रुपयों से नहीं खरीदा है? रुपयों से खरीदा हो या नहीं खरीदा हो, लैंड-लोर्डस की समस्या हमारे सामने नहीं है। इसके खरीदने में रुपया दे दिया तो इसके बदले में उनको इजाजत दे दें कि चूंकि इन्होंने रुपया गवर्नमेंट को दे दिया है, चूंकि गवर्नमेन्ट ने २००००) (बीस हजार) रुपया फी मुरब्बा का ले लिया है इसलिए उनको इजाजत दे दें कि तुम डकैती डालो, गरीबों का खून चूसो। इसलिए अगर आप एक कानून लागू करते हैं तो वह सारे राजस्थान में लागू होना चाहिए, न कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में। अगर बटाई सिस्टम से आपको दिक्कत है और जब तक केश में करें तब तक जहाँ कैश रेंट लागू है वहाँ तो इसे लागू कर दीजिए।

इसलिये मैं यह चाहूँगा कि मेरे मित्र (माननीय मन्त्री) सीधे तौर से कह दें कि हम इसे गंगानगर पर लागू करेंगे। अगर वहाँ से आये लोगों के दबाव से लागू नहीं करें तो साफ कह दें कि हमारे मित्र मेरा साथ देने को तैयार नहीं हैं। अतः मुझमें ताकत नहीं है कि इसे गंगानगर पर लागू करूं, और इसमें ओपोजिशन मेरी मदद करे तो हम मदद करने को तैयार हैं।

श्री मोतीराम चौधरी—मैं जो कुछ कहना चाहता था वह तो मेरे लायक दोस्त ऑपोजिशन लीडर ने समझा दिया है, लेकिन मैं मेरे लायक दोस्त जो अपने आपको कोम्युनिस्ट कहते हैं

[श्री मोतीलाल चौधरी]

उनको समझा देना चाहता हूँ कि गंगानगर को अलवर के साथ करते हैं, यह समझ में नहीं आता। गंगानगर में तो किसानों ने अपनी जमीन-मकान बेच कर ये जमीनें खरीदी हैं, और वहाँ जमीन पर थोड़े से जमींदारों को छोड़ कर, किसान ही खुद-काश्त करते हैं। वहाँ छठा हिस्सा करने का नतीजा यह हुआ कि वहाँ किसान आज बुरी तरह से पीसा जा रहा है। किसान को बोने के लिए कोई जमीन नहीं देता, इस वजह से कि वहाँ लोगों ने जमीन बड़ी कीमतों से खरीदी थी। वहाँ लोग दो-दो, तीन-तीन बीघा जमीन से अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण करते थे, यह हम जानते हैं आप नहीं।

आपका किसान को रियायत दिलाने का मतलब नहीं, आपका तो मतलब यह है कि जमीन के लोभ से किसान फँस जाँय, आपके साथ आन्दोलन में किसान शामिल हो जाँय, इसलिये आप ऐसा कानून बनवाना चाहते हैं। आप किसानों को और वहाँ की जनता को कोई लाभ पहुँचाने के लिए कोई कानून बनवाना नहीं चाहते हैं।

मेरे पास बहुत कम जमीन है, जो मेरी खुद काश्त है। मैं जानता हूँ कि यह कानून बन जाने के बाद जो थोड़े-बहुत किसान छोटे-मोटे ठेके लेकर अपने बच्चों का भरण-पोषण करते हैं, उनको भी आप उजाड़ना चाहते हैं। यह आपकी अच्छी नीति नहीं है। आप नहीं चाहते कि किसान वहाँ बढ़ें। सिर्फ आप तो वहाँ हुल्लड़बाजी करना चाहते हैं, लोगों में विद्रोह फैलाना चाहते हैं।

गंगानगर के हालात अलवर जैसे नहीं है, अलवर में तो बिस्वेदारी है।

श्री अध्यक्ष—आवृत्ति मत कीजिए।

श्री मोतीराम चौधरी—मेरा कहने का मतलब यह था कि यदि गंगानगर पर भी इसे लागू करेंगे तो गंगानगर के सारे किसान बेदखल हो जायेंगे। उन किसानों की हमदर्दी के लिए यह कह रहा हूँ। अगर श्री एच. के. व्यास के कहने के मुताबिक करेंगे तो किसान तबाह हो जायेंगे। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये उनसे यह कहना चाहूँगा कि वे गंगानगर में जाकर अपनी डुगडुगी तो भले ही जरूर बजायें; पर वहाँ झगड़ा पैदा नहीं करें, बदअमनी नहीं फलायें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, अमेन्डमेंट जो रखा गया है वह यह है कि अलवर भरतपुर के साथ गंगानगर को भी इसमें शरीक किया जाय। मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज को पूरी तरह से देखा जाय तो इसमें यह कहा गया है :

"Provided that no such notification extending this Act to any area shall be issued by the State Government unless it is of opinion, after such inquiry as it may think fit to make, that excessive rent is being exacted by landholders from their tenants in respect of agri-cultural lands in that area."

यह हमने जान-बूझ कर इसलिए रखा है कि इन इलाकों में इन्क्वायरी की गई, और अलवर-भरतपुर में निश्चित तौर से पाया गया कि वहाँ पर रेक रेन्टिंग है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अब गंगानगर के बारे में भी कहा गया है। कोटा में किशनगंज तहसील है, वहाँ भी इसी तरह की शिकायत की गई है। कोटपुतली के बारे में भी कहा गया है कि उसको छोड़ा है, तो अध्यक्ष महोदय, सारी परिस्थितियों को विचार कर, जांच करके ही यह किया जा सकता है।

बहर-हाल यह निश्चित है कि वहाँ के किसानों को राहत पहुँचे, जो किसान न हों उनको अगर राहत पहुँचती हो यह तो हम पसन्द नहीं करेंगे। लेकिन सारे सर्कम्स्टेन्सेज़ को एग्ज़ामिन करना चाहेंगे। फिर यह कहना कि इस इलाके को शरीक कर लो, उस इलाके को शरीक कर लो तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि हम बगैर जांच के कुछ नहीं कर सकते।

बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और सदन से अर्ज करूँगा कि जो Clause असल है उसको ही मन्जूर करे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं इस पर सदन का ज्यादा समय न लेता हुआ सिर्फ दो बातें बताना चाहता हूँ।

पहली बात यह है कि जिस तरह से अलवर और भरतपुर में बिस्वेदारी है उसी प्रकार गंगानगर में लम्बरदारी है। कहीं पावीदारी या शेअर क्रोपर भी होती है। शेअर क्रोपर का मतलब यह होता है कि जितनी पैदावार हो उसका आधा बांटा या जितना भी तय किया गया हो; कहीं-कहीं यह बांटे के रूप में और कहीं-कहीं यह ठेके के रूप में लिया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात सिर्फ, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूँ कि जहां पर एक प्रकार का रेन्ट कायम किया हुआ है वहां पर भी यह १।६ का कानून लागू क्यों किया जाता है? गंगानगर जिले में १।६ का कानून लगा दिया, इस सम्बन्ध में हमको ही नहीं बल्कि जहां तक मैं समझ पाया हूँ मेरे माननीय कांग्रेसी मित्रों को भी इससे शिकायत है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कोई मुन्सिफ का कानून नहीं है। जब कभी लोग चिल्लाते हैं तो आप हुल्लड़बाजी कह देते हैं। यह कानून कोई हुल्लड़बाजों का कानून नहीं है, यह कानून तो आपकी सरकार का कानून है जो आपकी ही पार्टी है। यह कानून आपकी ही पार्टी द्वारा लागू किया गया है। अगर आपको शिकायत है इस कानून के खिलाफ तो आप अपनी ही पार्टी के कार्यकर्त्ताओं से शिकायत करें और वे सरकार को सुनावें। यह कानून कोई हुल्लड़बाजों का बनाया हुआ कानून नहीं है। यह तो सरकार के मन्त्रियों द्वारा जारी किया हुआ कानून है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने रेन्ट इनकाइन्ड पर तो पाबन्दी लगा दी, मगर प्रोड्यूस के हिस्सों पर जो दीगर रिलेक्सेशन्स हैं वे रेन्ट इन काइन्ड और रेन्ट इन केश; अब आप कहते हैं कि जहां केश रेन्ट हैं वहां पर रेक रेन्टिंग नहीं होगा। मुझे इसके बारे में ज्यादा जाने से कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि गंगानगर जिले में जहां रेन्ट इन केश हैं क्या वहां पर रेक रेन्टींग नहीं है? मैं समझता हूँ कि है और माननीय मन्त्रीजी खुद इस बात को कहने में थोड़े हिचकिचा रहे थे और उनका हिचकिचाना वाजिब था। जहां पर यह कानून लागू नहीं है वहां पर फौरन लागू किया (अश्रव्य) इस क्लॉज को विदाउट प्रोपर इन्क्वायरी (अश्रव्य) गंगानगर में लागू कर सकते हैं।

Page No.56

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरी छोटी सी बात जो इसी से ताल्लुक रखने वाली है वह यह है कि यदि इसी को हम जड़ मान कर चलें तो बेकारों को किसी की जमीन काश्त करने के लिये नहीं मिलेगी; जिसका डर है और यह डर कुछ हद तक वाजिब है क्योंकि सरकार लोगों को बेदखल करने के लिये तो कोई कदम नहीं उठायेगी। इसके अलावा अब तो नया कानून आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति पड़त जमीन नहीं रख सकेगा। वह या तो उस जमीन को बांटे में देगा या केश रेन्ट पर देगा या दोनों प्रकार के लगानों का सम बना कर देगा। इसमें कोई अन्याय-पूर्ण बात नहीं हो सकेगी, इसमें कोई गड़बड़ और गोटाला नहीं है, इसके बारे में जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। बस मेरा माननीय मन्त्रीजी को यही कहना है और इसीलिये यह एमेन्डमेंट पेश किया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड १ में श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रिएम्बल तथा टाइटल स्वीकार किया जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड १, प्रिएम्बल तथा टाइटल बिल के अंग स्वीकार किये गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "Rajasthan Agricultural Rents Control Bill, 1954." पास किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

(हर्ष-ध्वनियें)

राजस्थान राजकीय भाषा (संशोधन) विधेयक, १६५४.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 'राजस्थान ऑफिशियल लेंग्वेज (एमेन्डमेंट) बिल, १६५४' को विचारार्थ लिया जावे।

Page No.57

[श्री जयनारायण व्यास]

इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ जो भूमिप्रा है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। इसमें हमें यह दिक्कत आई है कि अगर यह संशोधन नहीं होता है तो जो विधेयक विचाराधीन हैं और जो विचाराधीन जाने वाले हैं वे अंग्रेजी में आ चुके हैं, उनका तर्जुमा करने में काफी समय लग सकता है। इसलिये जो विधेयक हैं वे अंग्रेजी में ही पास कर लिये जावें। इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। यह एक टेक्निकल बात है।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। (विराम) प्रश्न यह है कि "राजस्थान ओफिशियल लेंग्वेज (एमेन्डमेंट) बिल, १६५४" को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री जयनारायण व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "Rajasthan Official Language (Amendment) Bill, 1954" पास किया जावे।

(स्वीकृत)

बिल पास किया गया।

राजस्थान (कृषक-संरक्षण) संशोधन विधेयक, १६५४.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I beg to move that the Rajasthan (Protection of Tenants) Amendment Bill, 1954, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। (विराम) प्रश्न यह है कि राजस्थान (प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स) एमेण्डमेण्ट बिल, १६५४, विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पास हुआ।

श्री अध्यक्ष—अब हम क्लॉज़ बाई क्लॉज़ इस पर विचार करेंगे।

खण्ड २, श्री हरिकृष्ण व्यास

श्री हरिकृष्ण व्यास—[In line 2 sub clause 3 for the figure "7" substitute '8']

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am moving it. That is all.

श्री अध्यक्ष—और कोई सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

(कोई भी सदस्य खड़े न हुए)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि ७ साल से ८ साल करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्टस एक्ट इसी साल ला रहे हैं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरिकृष्ण व्यास—कभी-कभी वाजिब सलाह भी अच्छी मालूम नहीं होती। मैंने इसलिये यह ७ साल के बजाय ८ साल रखा था कि हमारे सामने तीसरी बार ऐसा मौका आया है कि प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्टस एक्ट के आने की आशा में इस कानून की मयाद कम रही और बार-बार बढ़ाने की जरूरत पड़ी और बाद में हाईकोर्ट ने अवैधानिक माना। इसीलिये मैंने सोचा कि मेरा मूक एमेन्डमेंट प्रस्तुत कर दूँ। मैं इसको प्रेस नहीं करना चाहता। एक नया एमेन्डमेंट लाना पड़ेगा। परेशानी ये चाहते हैं। कहां तक मैं......

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज २ पर का संशोधन श्री व्यास प्रस्तुत करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने अपना अमेण्डमेण्ट मूव कर दिया है और विदड्रॉ करने की अनुमति के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की राय हो तो विथ्ड्रा करने के लिए अनुमति दी जाय ?

(अनुमति प्रदान हुई)

अनुमति दी जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना अमेन्डमेंट विदड्रॉ करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—You withdraw all ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, sir, only in relation to Clause 2, as it stands. My other amendments are very material, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—The question is that Clause 2 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 3 Mr. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—[Insert a new clause 3 as under, after clause 2.

"3. Amendment of Section 7—

(a) In sub-section (i) of section 7 of the Rajasthan (Protection of Tenants) Ordinance, 1949, the words and figures 'within three months from the date of such ejectment or dispossession or the commencement of this ordinance whichever happens to be later' be deleted and deemed always to have been deleted.

(b) For the words and figures of sub-section (3) of Section 7, the following words and figures be substituted: '(3) The Sub-Divisional Officer or other officer of equal status shall decide the case within a period of one month of the receipt of the application under sub-section (1)'.]

माननीय उपाध्यक्षजी,........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैंने पिछले वक्त भी सदन के अन्दर इस इस बात की........

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे आज्ञा प्रदान कर दी गई है ऐसी सूरत में मेरी बगैर इजाजत के कोई माननीय सदस्य नहीं बोल सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--On a point of order I have stood.

मैंने पिछली बार यह मूव किया था कि जो धारा विचारार्थ हमारे सामने नहीं है उस पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं हो सकता और इस सम्बन्ध में पिछले अधिवेशन के अन्दर भी यह रूलिंग हो चुकी थी कि जो धारा विचारार्थ नहीं हो उसके बारे में अमेन्डमेन्ट्स नहीं हो सकते और जो अमेन्डमेन्ट्स किये जा रहे हैं वे मूल धाराओं पर किये जा रहे हैं जो कि Amending बिल में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह बात सही है कि मूल धाराओं के अन्तर्गत अमेन्डमेन्ट्स मूव किये जा सकते हैं। जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है उसके सम्बन्ध में अर्ज करूँ कि ऐसा प्रश्न डेढ़ साल पहले हाउस ऑफ दी पीपल (House of the People) में उठा था और उस वक्त उठा था जब कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में संशोधन लिये जा रहे थे। सन् १९५२ में जब यह पॉइन्ट ऑफ ओर्डर हाउस ऑफ दी पीपुल में उठा था तो हाऊस ऑफ दी पीपुल के अध्यक्ष श्री मावलांकर ने यह रूलिंग दिया कि एक्ट के अन्दर किसी भी धारा में संशोधन प्रस्तुत हो सकता है......

"It is open to the Members to move amendments to any other section, because the mere amendment to one section makes the whole Bill the subject-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

matter of consideration, or....." लेकिन मैं आपके सामने उस परिस्थिति को रखूँगा जब कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के हर क्लॉज में अमेन्डमेन्ट लिये गये, वे स्वीकार हुए हैं, मूव हुए हैं। इसका पार्लियमेन्टरी प्रोसिडिंग्ज के रिकार्ड से पता लगाया जा सकता है। अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपके सामने चन्द मिनिट में लाकर रख दूँ। तो ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता कि कानूनन इस बात का एतराज किया जा सकता है और मैं प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे मूव करने की आज्ञा प्रदान करेंगे।

दूसरी बात जो मैं रखना चाहता हूँ वह यह है कि जब एक बार अमेन्डमेन्ट एडमिट हो चुका है और जब कि वह सर्कुलेट हो चुका है तब उसके बाद उसके एडमिशन के बारे में एतराज करने का हक क्या है ? यह तो अधिकार माननीय अध्यक्ष को है और उस अधिकार का इस्तेमाल जहां तक इस अमेन्डमेन्ट का ताअल्लुक है, हो चुका है क्योंकि यह अमेन्डमेन्ट एडमिट हो चुका है, प्रस्तुत हो चुका है और आज्ञा भी दे दी गई है। जब यह सर्कुलेट हो गया है, प्रस्तुत करने की आज्ञा दे दी गई है तो उसके बाद इस प्रकार का ओब्जेक्शन किया गया है, उसको अगले दिन किस समय विचारार्थ रखा जा सकता है। मुझे अब आप इस अमेन्डमेन्ट को मूव करने की आज्ञा प्रदान करेंगे, ऐसी आशा है।

श्री उपाध्यक्ष—चूँकि इस पर पहले रूलिंग स्पीकार साहब दे चुके हैं......

श्री गोपीलाल यादव--When was it given ?

श्री उपाध्यक्ष—सेक्रेटरी साहब से दर्याफ्त किया गया है।

श्री गोपीलाल यादव—यदि पहले वह कभी दी गई है तो उसको निकलवा लीजिये। इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ : (अश्रव्य) वह रूलिंग दी गई है तो "That ruling can again be over-ruled" आपको पता चल गया कि हाउस ऑफ दी पीपुल में क्लियर ऑथोरिटेटिव रूलिंग हुई थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अमेन्डिंग बिल सामने आता है कि असली बिल की हर एक धारा पर अमेन्डमेन्ट आ सकता है।

श्री चन्दनमल वैद--That ruling is being confirmed now.

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह बुनियादी बात है। इस प्रकार के अमेन्डमेंट भविष्य में भी आवेंगे। मेरी प्रार्थना है कि हाउस ऑफ दी पीपुल में जो रूलिंग दी गई है उसको देख लिया जाय और तब तक के लिए इस सम्बन्ध में रूलिंग रिज़र्व रख ली जावे।

श्री गोपीलाल यादव--It can be reserved.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ओर्डर, सर, मुझे भी निवेदन करना है। निवेदन यह है कि यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। जो रूलिंग अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई है उसको देख लिया जाय और इसके सम्बन्ध में कल डिसीज़न दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस पर रूलिंग रिजर्व रखता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Pending a ruling, क्या मैं इसको मूव करूँ ?

(हँसी)

श्री उपाध्यक्ष—We now proceed to Clause 3. क्लॉज २ के अमेंडमेंट के लिए रूलिंग रिजर्व कर दी गई है। क्लॉज ३ कन्सीड्रेशन के लिए लिया जाय। The clause may be taken as moved. Similar question is there, because ther is a similar amandment by Mr. Vyas ? You (Shri Vyas) want to amend the original Tenants Protection Ordinance ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—This Bill also seeks to amend the original Tenants Ordinance.

श्री उपाध्यक्ष—Then both have the same implications !

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Better we take another Bill because all the remaining clauses pertain to the same point.

राजस्थान नगर समिति (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री रामकरण जोशी—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ अमेन्डमेंट बिल, १९५४ विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

श्री गोपीलाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में भी वही बात है जो टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स में थी। इस पर मैंने अमेन्डमेंट भेजे हैं। वह अमेन्डमेंट इस प्रकार हैं कि क्लॉज़ १९ के सब सेक्शन (५) को डिलीट कर दिया जाय और इसकी जगह पर दूसरा सेक्शन रख दिया जाय। मैंने इस प्रकार का अमेन्डमेंट तारीख २९ को दिया है लेकिन अभी तक सर्कुलेट नहीं

[श्री गोपीलाल यादव]

हुआ उसको मँगवा लिया जाय। चूँकि अमेन्डमेंट टाइम पर दिये हुए हैं और अमेन्डमेंट द्वारा दूसरा सेक्शन एड करवाना चाहता हूँ इसलिए इसको यहीं रोक कर अगला बिल ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—There is no amendment moved by you here, proposed by you, but there is one by Mr. H. K. Vyas.

श्री गोपीलाल यादव—मैंने तो २१ तारीख को ऑफिस में अमेन्डमेंट भेज दिया था। सेक्रेटरी साहब को चाहिये कि वे निकलवायें।

(चुप्पी)

विधेयकों से असम्बन्धित संशोधन प्रस्तुत करने सम्बन्धी वाद-विवाद।

श्री उपाध्यक्ष—Members may express their opinion, theis views before the ruling the previous ruling of the Speaker, is searched, and as you said, of the Speaker of the parliament, they are being referred to the Members. The Members want to speak on this point, express their views whether it will be proper to discuss this.

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स के विषय में मेरे जोधपुर के माननीय सदस्य ने अपना जो संशोधन रखने का विचार किया था उसके ऊपर ट्रेज़री बेन्चेज की ओर से माननीय मंत्री ने आपत्ति उठाई कि यह संशोधन इस बिल के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं या इनसे संबन्धित नहीं इसलिए इस पर संशोधन सदन में विचारार्थ नहीं आ सकता। इसके जवाब में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पार्लियामेंट की एक नजीर दी। मुझे उनकी नजीर और उनके संशोधन को विचारार्थ लिए जाने की बात, दोनों से ही विरोध है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के नियम १३८ में यह स्पष्ट है।

"An amendment must be relevant to the subject-matter of the bill and to the subject-matter of the clause to which it relates."

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस संशोधन को और माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उनको और प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स में जो स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हुए हैं उनको हम दोनों को एक साथ लेकर पढ़ते हैं, तो जो माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है वह स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स में जो रीजन्स हैं उनसे बहुत भिन्न है। जहाँ रूलिंग का प्रश्न आता है यह मेरे लिए आवश्यक है और जो मेरी जानकारी में है उसको मैं सदन के सामने रख दूँ। नियम १३८ के मुताबिक इन दोनों चीजों को एक दृष्टि से देखेंगे तो अलग-अलग विषय के अन्दर मस्तिष्क काम

Page No.63

[श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)]

करेंगे। एक तरफ तो यह आता है कि हम इस कानून में जो संशोधन किया जा रहा है, उस संशोधन के जरिये से उन केसेज़ के डिस्पोजल के लिए सुविधा दें। दूसरी तरफ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में है कि इस कानून को हाई कोर्ट द्वारा रद्द न करार दिया जाय, इसलिए यह पेश किया जाता है। इस विषय में जिस तरीके से यह ऑर्डिनेन्स लागू हुआ और इसके अन्दर एक्स्टेन्शन्स जायज नहीं थे : जो एक्स्टेनशन्स राजप्रमुख द्वारा किये गये उन एक्स्टेन्शन्स को हाई कोर्ट ने एक बात को लेकर चेलेंज़ (challenge) किया कि इसका एक्स्टेन्शन चीफ सेक्रेटरी द्वारा कर दिया गया। यह एक्स्टेन्शन राजप्रमुख की आज्ञा से कर दिया गया, इन दो चीजों को लेकर हाई कोर्ट द्वारा चेलेन्ज किया गया और हाई कोर्ट द्वारा इसी बात पर फैसला दिया गया। इस प्रकार यह कानून लाया गया है। इस कानून के जरिये से काश्तकारों को राहत मिली है इसलिए किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिये। एक तरफ तो कानून लाने की मन्शा यह है। दूसरी तरफ जो इस प्रकार के केसेज़ हों उनके डिस्पोजल में जल्दी हो; ये दोनों बातें बिल्कुल जुदा हैं। इस नाते, इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं आ सकता।

पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग की रूलिंग का उल्लेख भी माननीय सदस्य ने किया। प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के बारे में चर्चा हुई। जो पार्लियामेंट की रिपोर्ट है उसे मुझे भी पढ़ने का अवसर मिला उसमें इस विषय के ऊपर काफी वाद-विवाद हुआ और जो रूलिंग दी गई है इस बात को लेकर नहीं। उन्होंने जो रूलिंग दी थी वह इस बारे में थी कि इसके एक्स्टेन्शन में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को बताने वाले इस प्रकार के संशोधन पेश किये जा सकते हैं। उसके लिए रूलिंग दी थी वह रूलिंग इस चीज को कवर करने वाली नहीं, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रूलिंग दी जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं दो शब्द अर्ज करना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने है तो उसमें अमेन्डमेंट यह किया जा रहा है कि इसको दो वर्ष के लिये फिर एक्सटेन्ड कर दिया जावे। जहाँ पाँच वर्ष के लिए पहले था वहाँ दो वर्ष और इसे बढ़ाया जावे। इस तरह अब इसके द्वारा वह सात वर्ष के लिए किया जा रहा है। इस एक अमेन्डमेंट के जरिये हम सारे के सारे ही एक्ट को अमेन्ड कर रहे हैं। और जब किसी खास कारण से हाई कोर्ट में ऐतराज भी हुआ कि लेजिस्लेटिव को पॉवर है नहीं, अब जब यह परिस्थिति सामने आई तो यह सोचा गया कि इस सारे के सारे एक्ट को ही रिअमेन्ड कर दिया जावे। इस एक अमेन्डमेंट द्वारा जो चीज हमने पाँच साल पहले पास की थी वह खत्म हो जाने दीजिये; फिर दो साल के लिए न बढ़ाएँ; पर आप इसको दो साल और बढ़ाने पर तुले हुए हैं।

यदि किसी समय यह बिल लाया गया तो एक एक क्लॉज को पहले आप डिस्कस होने दें। आज सदन के सामने यह प्रस्ताव है कि इस सारे के सारे बिल को दो साल के लिए और आप अमेन्ड कर दें। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दो साल...**that the whole Bill is a subject of discussion and sanction of this House.**

श्री रामकरण जोशी—माननीय उपाध्यक्षजी, यह जब विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है तो इसके बाद यह क्यों बहस चल रही है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अर्ज कर रहा था आपकी आज्ञानुसार और आपकी आज्ञा माननीय मन्त्री महोदय ने नहीं सुनी, इसके लिए मेरी उनके साथ सहानुभूति है।

तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैं कह रहा था कि इस एक अमेन्डमेंट के जरिये सदन की यह सम्मति ली जा रही है कि इस कानून को दो साल के लिए या एक साल के लिए रिअमेन्ड कर दिया जाय । और जब हम से......

श्री उपाध्यक्ष—ऐसा ही अमेन्डमेंट मूव किया गया है, टाउन म्युनिसिपलटीज़ एक्ट के बारे में भी। यह भी उसी से ताल्लुक रखता है, वह डिसअलाउड किया गया है, तो दोनों ही एक्टों पर एक ही तरह की बात है । वह ओरिजिनल सेक्शन को रीटच करना चाहते हैं अमेन्डमेंट के जरिये से तो यह सवाल है कि ओरिजिनल जब अमेन्डमेंट रक्खा गया था तो उस समय की रूलिंग को तलाश किया जा रहा है कि इसकी ओरिजिनेलिटी में जा सकते हैं या नहीं; उस तजवीज को तलाश किया जा रहा है, यह मैं अर्ज करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--और चूँकि यह तलाश की जा रही है इतनी देर मेम्बर्स से राय ली जा रहीं है इसको मुल्तवी करके दूसरे अगले बिल को ले लेने के विषय में।

श्रीटीकाराम पालीवाल (गृह मन्त्री)—मैं यह......

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब तक मैं सदन में खड़ा पोइन्ट आफ आर्डर माँगता हूँ......

श्री टीकाराम पालीवाल— मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर इस समय कौनसा बिल सदन के सामने पेश है जिस पर हम बहस कर रहे हैं ?

कु० श्री जसवन्तसिंह--हाउस के सदस्यों से राय लेना जरूरी समझा गया है कि क्या ऐसा अमेन्डमेन्ट ओरिजिनल बिल पर भी लाया जा सकता है जो कि अन्डर डिस्कशन नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल--प्रश्न यह उपस्थित हुआ है कि किस बिल में अमेन्डमेन्ट करें। While the Bill was under consideration this question rose up. तो वह जिस बिल के सम्बन्ध में क्वेश्चन पुट अप (put up) हुआ है और किसी दूसरे बिल के बारे में भी......

श्री उपाध्यक्ष—इस बारे में रूलिंग रिज़र्व की गई। इसी तरह का कानून जो म्युनिसिपैलिटीज का है उसमें भी इसी तरह का अमेंडमेंट है।

Page No.65

श्री टीकाराम पालीवाल—That is all right, but when the case of the Bill was decided, while one particular Bill was under considera- tion, it has application for future guidance to other Bills also and the discussion has to be confine to that particular Bill which is before the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes.

कु० श्री जसवन्तसिंह—There is one point which I want to press. We have been told that a ruling on this point has been given by the Speaker and until that ruling is given I do'nt know why the time of the House is being wasted. Suppose a ruling is given then the (श्री अध्यक्ष, पुनः पदासीन) time that we are taking now will be a wastage. In the mean time we may take other Bills.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, तो मैं यह कह रहा था कि जो प्रश्न विचाराधीन है वह यह है कि इस प्रकार का या और इस किस्म का अमेंडमेंट आया इस एक्ट में जो दरअसल अमेंडमेंट नहीं है लेकिन अमेंडमेंट को समेराइज़ करने वाला एक्ट है, जो सारे के सारे कानून की ही पुनरावृत्ति करने वाला अमेंडमेंट यह है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि सदन के किसी भी सदस्य को इस प्रस्ताव की आधारभूत बातों में जाने का अधिकार होना चाहिये और इसलिए यह अधिकार हमको होना चाहिये कि जिस एक्ट की अवधि बढ़ाई जा रही है अथवा जिस एक्ट के अन्दर इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है........

श्री टीकाराम पालीवाल—On a point of order, Sir, the thing was not yet been clear. Till, before the House there is the Rajasthan Town Municipalities (Amendment) Bill, there is no question of extending the life of this amending Bill.

श्री अध्यक्ष—I want to know who has raised the point of order ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I have raised.

श्री अध्यक्ष—What is that ?

श्री टीकाराम पालीवाल—The Hon'ble Member has been again and again pressing that the Bill seeks to extend the life of the Act. On what Bill has he been speaking ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The point is very different. I do not know whether there is mike in your room. The point is this that the Rajasthan

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

(Protection of Tenants) Amendment Bill was under discussion and certain amendments were moved by my friend on this subject to the effect which amounted to the amending of the original Bill and not the amendments suggested here.

श्री अध्यक्ष—Beyond the scope of the amending Bill ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--Then it was pointed out in the House that a ruling has been given by you that it cannot be done and that ruling is being searched. In the meanwhile another Bill viz. The Rajasthan Town Municipalities (Amendment) Bill, 1954, was taken up and the same question again cropped up when my friend moved an amendment trying to amend the original Bill and not .....

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—No such amendment has been moved.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—That was understood and therefore the Hon'ble Deputy Speaker wanted to have the views of the Members of the House as to what they have to say on this and discussion has been going on generally neither on the Town Municipalities Bill nor on the Tenants Protection Bill.

(एक माननीय सदस्य के बोलने को खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--When one Hon'ble Member is speaking he should not be intercferred with.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--The second Bill has also been moved. The question again came that this (the second bill) should also be postponed and the third Bill should be taken into consideration. In the meanwhile the Dy. Speaker wanted to know the views of the Members of this House as to what they have to say on this particular point. My suggestion is that it is no use wasting the time of this House by going into this question and in the meanwhile we should take another Bill.

श्री अध्यक्ष—The same point will arise again.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—You give a fresh ruling again.

श्री अध्यक्ष—We should take the Town Municipalities Bill and proceed to consider it clause by clause

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir. the position is that I was making a submission by the order of the Hon'ble Deputy Speaker and in between that a point of order was raised whether I had the right to make a submission to that extent before the next day what we were asked to do and I was permitted to do that. Now that should not be abruptly interrupted and I may be permitted to speak.

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Member should speak on the Bill only.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On the contrary the Dy. Speaker asked us to give our views as to whether it should be permitted to raise amendments on other sections which are not sought to be amended and on that I was speaking

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Members of the House are to consider any point of order with regard to a particular clause of the Bill if any point of order arises regarding that clause. Raise any number of point of orders and I am here to decide them.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have not raised any point of order.

श्री अध्यक्ष—Then come to order please.

श्री चन्दनमल वैद—He did raise a point of order

राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५४.

श्री अध्यक्ष—The motion has been moved regarding this Bill. So I put the question whether this be taken into considerution. The question is that this Bill we taken into consideration.

(स्वीकृत)

विचारार्थ लेने की आज्ञा प्रदान हुई। अब विधेयक पर खण्डशः वाद-विवाद किया जाय।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज २ के अन्दर मैंने......

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have a point of order. I was making a submi-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ssion that the point of order was raised regarding the validity of my speaking and suddenly I was stopped.

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—Let me explain the position.

श्री अध्यक्ष—Nothing can interrupt the proceedings of the House except a point of order. We have decided to proceed with the Bill and we are taking into consideration clause 2 and if the Hon'ble Member wants to move his amendment to clause 2 he can do.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is not the question, sir.

श्री अध्यक्ष—The question is that clause 2 be taken into consideration and your amendment is there. If you want to speak you confine yourself to the amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But I was speaking according to rules and as permitted by the Hon'ble Deputy Speaker.

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—That remains un-finished.

श्री अध्यक्ष—That is on record.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I was without any point of order to sit down. Somebody must say.

श्री अध्यक्ष—You come to order or rather to move your amendment to clause 2.

(श्री गोपीलाल यादव के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—This would not be a very proper thing to do.

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—I was interrupted two times, Sir.

श्री अध्यक्ष—But you are interrupting the proceedings of the House. You come to your amendment to clause 2. I don't mind any time being taken in the discussions; discussions in vacuum are not desirable. Now, come to your amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But I... This is the amendment.

श्री अध्यक्ष—"in any case not later than six months"

श्री हरिकृष्ण व्यास—In line five: (In new Section proposed to be inserted) after the words 'as early as possible', insert the following :—

"but in any case not later than six months."

माननीय अध्यक्ष, यह जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है इसमें एक विशेष परिस्थिति पैदा हो जाने पर क्या किया जाय, इसका जिक्र है, और वह जिक्र यह है कि अगर किसी म्युनिसिपल बोर्ड के सारे के सारे मेम्बरों का इलेक्शन सेट एसाड हो जाय तो क्या करना है ? ऐसी हालत में सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह उसको सुपरसीड कर दे, इलेक्शन को सेट एसाइड कर दे, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे और जितना जल्दी हो सके उतना नये चुनाव करवाये। बाकी की सब बातों से तो वैसे एतराज नहीं किया जा सकता, माननीय अध्यक्ष, लेकिन इस "as soon as" का अब इस सदन में और इस सरकार के सिलसिले में डर-सा लगने लगा है, इसलिए इन शब्दों का 'as soon as may be' का अर्थ 'as soon as possible होता है; इनका कोई अन्त ही होना नहीं दिखाई देता, कोई सीमा इसकी आज तक की सरकार के कर्तव्यों में नजर नहीं आई; मसलन, अभी कुछ दिन पहले कई प्रश्न यहाँ आये विभिन्न नगरपालिकाओं के सिलसिले में तो अवधि बढ़ाने का अधिकार एक बार पहले दिया गया था कुछ समय के लिए, उसका इस्तेमाल किया गया एक बार, दो बार, तीन बार और २-२, ३-३ वर्षों तक की अवधि बढ़ाने के लिए। जयपुर नगरपालिका में कुछ करीब-करीब ऐसी ही परिस्थिति निर्माण हुई है। माननीय अध्यक्ष, थोड़ा-सा फर्क जरूर है, लेकिन करीब-करीब ऐसी ही परिस्थिति निर्माण हुई है कि उस म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया और एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया है। अब प्रश्न यह है कि वहाँ क्या किया जाय और कब तक चुनाव किये जायँ और हम देख रहे हैं कि ६ महीने से ज्यादा दिन तो गुजर गये और अभी कई महीने और गुजरने बाकी हैं चुनाव होने में। तो इस एमेंडमेंट बिल के जरिये जहाँ तक सरकार को अधिकार देने की इसमें बात कही गई है वहाँ उस अधिकार को निरंकुश नहीं रहने दिया जाय, उस पर कुछ अंकुश रखा जाय, कुछ पाबन्दी रखी जाय, इस आशय का यह मेरा प्रस्ताव है। अधिकार सरकार को दिये जाते हैं कि वह एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे, अधिकार सरकार को दिये जाते हैं कि वह जल्दी से जल्दी चुनाव करा दे और जब तक काम चलाये, लेकिन वह इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करे, इस अधिकार के जरिये अपनी पार्टी की, अपने गुट की, पोजीशन को गैरवाजिब तरीके से सम्हालने की कोशिश न करे। इस अधिकार के जरिये नागरिकों के जो चुनने के अधिकार हैं उन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अधिकारों पर अवांछनीय रोकटोक न लगा सके, इसलिए सरकार के अधिकार के मुताल्लिक कुछ अंकुश भी होना चाहिए और वह अंकुश मेरे एमेंडमेंट के जरिये लगता है।

अब मैं सदन से अर्ज करूँगा कि परिस्थिति की दोनों बातों को खयाल में रखना आवश्यक है। जैसे कि एक ओर हम यह चाहेंगे कि व्यवस्था जो है वह व्यवस्था चालू रहे, उसमें अचानक गड़बड़ पैदा होने की परिस्थिति हो तो उस गड़बड़ को, उस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए कानूनन सरकार को अधिकार दिये जाँय, लेकिन साथ ही साथ हम यह भी चाहेंगे कि इस कानून के जरिये सरकार को जो अधिकार दिये जा रहे हैं वैसे हो बेसिक म्युनिसिपल एक्ट में आम लोगों को जो अधिकार दिये गये हैं उनका भी हनन नहीं हो।

इस अमेंडमेंट को प्रेस करने का एक कारण और भी है। जो अनुभव हमें इस प्रकार के अधिकार देने का अभी तक हुआ है वह अनुभव बहुत ही कटु अनुभव है। वह अनुभव यह जाहिर करता है कि यदि एक बार सरकार के ऊपर फैसले के लिए छोड़ा तो बर्षों तक सरकार न अवधि खत्म करती है और न फैसला करती है और गवर्नमेंट तो महज इस वजह से उसे कुछ अपनी पार्टी के व्यक्तियों को अथवा अपने गुट के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना है, जान-बूझकर फैसला करने में देरी करती है। इन दोनों कारणों की वजह से मैं यह चाहूँगा कि सरकार को यह अधिकार दिये जाने के साथ-साथ इस पर रोक हो और इस विषय में मेरा एमेंडमेंट सदन के सामने प्रस्तुत है उसकी स्वीकृति के लिए।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, मैं भी चाहता हूँ कि जोधपुर के माननीय सदस्य के अमेन्डमेन्ट का समर्थन करूँ। उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कह दिया है और मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि सरकार ने और खासकर के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग ने अपने पॉवर्स को एब्यूज़ किया है। यदि माननीय मन्त्रीजी इस बात को चैलेंज करें तो मैं उनको बीसों उदाहरण दे सकता हूँ जिनमें उन्होंने अपनी पार्टी के फायदे के लिए म्युनिसिपेलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या विलेज पंचायत्स में ऐसे-ऐसे काम किये हैं जिनको देखते हुए उन्हें जो एक्ट्स के तहत पॉवर्स दी गई हैं उनका एब्यूज़ करना कहा जा सकता है। इस एमेन्डमेन्ट से वे अपने साथियों के अलावा दूसरे लोगों को भी मदद देना चाहता है जो उनके पक्ष के हैं। यदि वे चाहें तो इसके अनुसार उन्हें ६ महीनों तक मदद दे सकते हैं। हम मदद देने में बाधा नहीं डालते। वे सरकार के मित्र हैं उनको वे जैसी चाहें मदद दें लेकिन उसकी हद होनी चाहिए और हद के बाहर निकल कर मदद दें तो यह अच्छी परम्परा नहीं है। यह ६ महीनों की मयाद के बारे में जो एमेंडमेंट पेश किया गया है वह बहुत अच्छा है। यदि किसी म्युनिसिपेलिटी में कुछ खामी है तो वह ६ महीनों में ठीक की जा सकती है और नागरिक अधिकारों पर आघात करना दूर किया जा सकता है। इसलिये मैं अपील करूँगा कि इस एमेंडमेंट को सहर्ष स्वीकार कर लिया जाय।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्षजी, मेरा भी एक संशोधन इस बारे में।

Page No.71

श्री अध्यक्ष—संशोधन समय में नहीं है इसलिये समझ लीजिये कि उसे नहीं लिया गया।

श्री भैरूँसिह (दाँतारामगढ़)—अभी जो जोधपुर के माननीय सदस्य ने एक संशोधन रखा है उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार, उनका समर्थन करता हुआ, रखता हूँ। समर्थन करने के कई कारण विशेष है जिनके कारण समर्थन करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। आज जनता की चुनी हुई सरकार को यदि इस प्रकार के अधिकार दे दिये जॉय तो किसी भी आदमी को किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के बनने के बाद जो नगरपालिकाओं, पंचायतों व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की दुर्दशा हो रही है उसको देखने से ऐसा पता लगता है कि राजस्थान की इस चुनी हुई सरकार को इस प्रकार के अधिकार देना जनता के अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिये सत्ता देना है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की किसी भी नगरपालिका के विषय में यह देख लिया जाय कि उस नगरपालिका की अवधि समाप्त होने के बाद भी चुनाव शुरू करने के लिये सरकार ने कोई भी कार्यवाही की है तो मैं भी यह मानने को तैयार हूँ कि उसे इस प्रकार के अधिकार दे दिये जाँय। लेकिन यदि राजस्थान के राज-पत्र को, एक साल के सारे राज-पत्र को, देख लिया जाय तो एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि एक नगरपालिका की अवधि समाप्त हो रही है तो राजपत्र में अवधि की वृद्धि करने के लिये सरकार की ओर से नोटिफिकेशन निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक नगरपालिका का सम्बन्ध है वह लोगों के रोजमर्रा की जरूरत के ऊपर आधारित है। जिन नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त होने को है उनके अगर चुनाव समय पर करा लिये जाते हैं तो कोई दिक्कत सरकार के सामने नहीं आ सकती। चुनाव कराने में जो दिक्कत सरकार के सामने है उसे सरकारी जवाब में बतायेंगे कि वह दिक्कत यह है कि चुनाव कराने के लिये वोटर्स की लिस्टें तैयार नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ कि ६ महीने की अवधि निर्धारित करने के शब्द जो अमेन्डमेन्ट में रखे गये हैं उनके लिए जवाब में कहा जायगा कि हम इस अवधि में वोटरलिस्ट तैयार नहीं कर सकते। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब एक बार माननीय इन्द्रनाथ मोदी ने मूल बिल पर अपना संशोधन पेश करते हुए यह बात कही थी कि यदि नगरपालिकाओं की अवधि इस बात के लिय बढ़ाई जाय कि वोटर लिस्ट तैयार नहीं है तो वह अवधि उतने समय के लिये ही बढ़ाई जाय जितने समय में कि वोटर लिस्ट तैयार हो जाय। उस पर मन्त्रीजी ने भी यह कहा था कि यदि किसी म्युनिसिपेलिटी की अवधि बढ़ाई जायगी तो एक ही आशय को लेकर बढ़ाई जायगी कि वोटर लिस्ट तैयार नहीं है और उतनी ही बढ़ाई जायगी जितने समय में कि वह वोटर लिस्ट तैयार हो जाय। लेकिन राजस्थान सरकार ने जो कार्यवाही इस सम्बन्ध में अब तक की है उससे भ्रम निवारण नहीं होता बल्कि भ्रम ज्यादा बढ़ता है। कभी इस बात के लिये अवधि बढ़ा दी जाती है कि वोटर लिस्ट तैयार नहीं है, कभी कहते हैं चेयरमेन या वाइस चेअरमेन का चुनाव नहीं हुआ है और कभी किसी और बात को लेकर अवधि बढ़ादी जाती है। जब मौजूदा मन्त्री महोदय ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वोटर लिस्ट के कारण से ही अवधि की वृद्धि हो सकती है लेकिन उन्होंने उसे जिस तरह से कार्यरूप में परिणत किया है उसको देखकर सारा विश्वास जाता रहा।

श्री अध्यक्ष—वोटर लिस्ट का क्या सम्बन्ध है? You can't speak on that.

श्री भैरूँसिह—इस बात को लेकर जो कारण उपस्थित करते हैं उसी का बयान करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—No contingency please. Confine youself to the amendment in question that has been moved.

श्री भैरूँसिंह—"As soon as possible" टर्म है......

श्री अध्यक्ष—But, that is regarding the election being set aside under clause 19

श्री भैरूँसिंह—"As soon as" की जो टर्म है उसके बजाय ६ महीनों का एमेन्डमेन्ट मन्जूर कर लेना चाहिये। इससे सरकार के सामने कोई दिक्कत नहीं आयेगी। ६ महीने की अवधि होगी तो उसी समय को ध्यान में रखते हुए चुनाव आदि का काम जल्दी से पूरा हो सकेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ६ महीने की अवधि के प्रस्ताव को मन्जूर कर लिया जाय।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, जो एमेन्डिंग बिल है उसको यदि ध्यान से देखा जाता तो इस तरह की बात सामने न आती और सदन का समय नष्ट नहीं किया जाता। यह एमेन्डमेंट सिर्फ एक ही बात को लेकर पेश किया गया है। ६ महीने पहले सूरजगढ़ म्युनिसिपेलिटी के चुनाव हुए थे और उक्त चुनाव कोर्ट द्वारा सेट असाइड (set aside) हो गया। तब यह बात सामने आई कि अब इस म्युनिसिपेलिटी का काम कैसे चलाया जाय? हमने इसके बारे में सोचा और यह तय किया कि ऐसे मौके पर एडमिनिस्टेटर नियुक्त कर देना चाहिये जब तक कि दूसरा चुनाव न हो जाय। दूसरे चुनाव में वोटर्स लिस्ट बनने का सवाल सामने नहीं आता। लेकिन यह सवाल जरूर आ सकता है और यह सोचा जा सकता है कि सिंगल कॉंस्टीट्युएन्सी के बेसिस पर चुनाव कराये जाँय और इसके लिए वार्डवाइज़ सूची तैयार कराई जायेगी। सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि चुनाव टाइम पर करा दिये जायेंगे। इसलिए जहाँ तक इसका ताल्लुक है, पार्टी के मतलब की वजह से टाइम एक्सटेन्ड करते हैं, यह कहना वाजिब नहीं है। इलेक्शन दुबारा करने की अवधि तक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कर दी जाती है। संभव है वह समय ४ महीने में पूरा हो जाय और संभव है ६ महीनों में पूरा हो जाय। वेक्यूम न रखने के लिए यह लाया गया है। सरकार ने इरादा ही जाहिर नहीं किया बल्कि इलेक्शन भी करवा दिए।

चेलेंज देने के बारे में भी एक बात कही गई।

मैं समझता हूँ कि चेलेन्ज तो हमेशा स्वीकार है। तो, कोई बात जिसे इस रूप में प्रकट की जाती है, जिससे ऐसा सम्बन्ध स्थापित किया जाता है कि कोई इलेक्शन पार्टी के फायदे के लिए सेट एसाइड किया जाता है, तो मैं इस चेलेन्ज को स्वीकार करता हूँ।

जयपुर म्युनिसिपेलिटी का जिक किया। उनको मालूम नहीं कि किस वजह से ऐसा किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने के क्या कारण हैं, वाकयात जो होते हैं उसके लिए।

Page No.73

[श्री रामकरण जोशी]

एक सवाल के जवाब में मैं बता चुका हूँ कि गये साल जितने म्युनिसिपैलिटियों की अवधि बढ़ाई गई उनके सबके चुनाव हो गए हैं। अलवर म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन का चुनाव बाकी है जो नोटिफिकेशन के लिए गजट में जा चुका है।

इसलिए जो मेरे माननीय मित्र ने फरमाया कि उनका सरकार से विश्वास उठ गया है तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा माननीय सदस्य को कि उनका कितना विश्वास आज तक सरकार में रहा है, यह तो हम जानते हैं और उनके विश्वास से सरकार चलती है या नहीं, यह तो सभी जानते हैं।

अन्त में मैं यही निवेदन करूँगा कि इसमें शक की कोई गुन्जाइश नहीं है।

राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ का जो बिल है वह इसी सेशन में आ रहा है। यह तो आप पर निर्भर है कि आप इस सेशन को कन्टिन्यू रखेंगे या स्थगित करेंगे।

यह ऑर्डिनेन्स सरकार निकाल चुकी है और इसकी सदन से स्वीकृति चाहते हैं, इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करूँगा कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज २ पर जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास का है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २ स्वीकृत किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड २ विधेयक में अंग रूप से स्वीकृत हुआ।

(विराम)

खण्ड ३ (विराम) प्रश्न यह है कि खण्ड ३ स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

खण्ड ३ विधेयक में अङ्ग रूप से स्वीकृत हुआ।

(विराम)

खण्ड ४. (विराम) प्रश्न यह है कि खण्ड ४ स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ विधेयक में अङ्ग रूप से स्वीकृत हुआ।

(विराम)

खण्ड १, प्रिएम्बल एवं टाइटल

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड, प्रिएम्बल व टाइटल स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

खण्ड १, प्रिएम्बल एवं टाइटल विधेयक में अङ्ग रूप से स्वीकृत हुआ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ (एमेण्डमेण्ट) बिल, १६५४ को पास किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान लगान-दर निश्चयन तथा वैधकरण विधेयक, १६५४

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Mr. Speaker Sir. I beg to move that the Rajasthan Rent Rates Determination and Validation Bill, 1954, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव पेश हुआ। प्रश्न यह है कि बिल को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लेने की आज्ञा प्रदान हुई।

(विराम)

खण्ड २. (विराम) प्रश्न यह है कि खण्ड २ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २ विधेयक में अङ्ग रूप से स्वीकृत हुआ।

(विराम)

खण्ड ३, श्री गोपीलाल यादव।

श्री गोपीलाल यादव—[Delete sub-clause (a) and (b) of sub-clause (1) of clause 3 and after the word 'represent' in clause 3 (1) add the following :—

"One sixth of the net produce."

Clause 3 (2) should be replaced by the following :—

"Net produce in this Section shall be calculated after taking the averge of 10 years gross produce and deducting therefrom the price of Bhusa, dry stalks, grass and other catural produce and the cost of cultivation including the labour put on by the farming on the land throughout the year."

माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ पर मैं अपना संशोधन हाउस के सामने पेश करना चाहता हूँ।

[श्री गोपीलाल यादव]

क्लॉज़ ३ इस प्रकार है कि इसमें सेक्शन के (ए) और (बी) में बना कर यह दिया गया है कि जो रेंट सन् १९५१ के ४ जून से लेकर ३१ अप्रेल सन १९५२ तक रखा गया है, वह एक चौथाई ग्रोस प्रोडयूस का है। यह एक किसान की खेती में जो सब कुछ मिला कर पैदावार होती है उसका एक चौथाई हिस्सा सरकार लगान का ले और सेक्शन (बी) में यह है कि २९ अप्रेल, सन् १९५२ के बाद जो सेटलमेंट किया गया था उसका एक बटा ६ हो, ग्रोस प्रोड्यूस का, साल भर में जो पैदा हुई उसका छठा हिस्सा लिया जाय।

मैंने यह संशोधन रखा है कि (ए) और (बी) सब क्लाज़ेज़ को छोड़ दिया जाय, डिलीट कर दिया जाय और 'रिप्रेज़ेन्ट' के बाद यह जोड़ दिया जाय। "One sixth of the net produce"; रिप्रेज़ेन्ट के बाद ये वर्ड्स एड कर दिए जाँय। यानि जो कुछ सारा खर्चा निकालने के बाद बचत रह जाय उसका $\frac{1}{6}$ हिस्सा ले।

नेट प्रोड्यूस को मैंने डिफाइन किया है कि १० साल में जो किसान के पैदा हुआ उसकी जोड़ लगाकर उसकी औसत निकाली जाय। उसमें से उसके सारे घास-फूस की कीमत निकाल दी जाय। वह कीमत निकालने के बाद जो उसकी लेबर है, उसके खानदान की, घर के लोगों की मेहनत है उसको निकाल दिया जाय और यह सब निकालने के बाद जो आमदनी उसकी हो उसका एक छठा ($\frac{1}{6}$) हिस्सा लगान बांधा जाय, यह मेरा प्रस्ताव है।

माननीय अध्यक्ष, रेंट रेट के नाम से जो इस वक्त लगान बांधा जा रहा है, वह इतना भारी है कि मैं आपको यह अर्ज कर सकता हूँ, बगैर किसी संकोच के, कि आज तक किसी बुरे से बुरे लूट करने वाले जागीरदार ने या रेक रेंटिंग करने वाले किसी भी लैंड लोर्ड ने, तो इस इलाके में इतना रेंट नहीं लिया जितना अब गवर्नमेंट लेना चाहती है। मैं अर्ज कर दूँ कि गवर्नमेंट्स तो संसार में एक नहीं अनेक मिलेंगी। अफ्रिका में हब्शियों में चले जाँय, वहाँ भी साल भर की किसान की ग्रोस प्रोड्यूस का एक चौथाई, एक छठा लगान नहीं लिया जाता।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सम्वत् १९५४ में जो अलवर- भरतपुर में सेटलमेंट किया गया उसमें ग्रोस प्रोड्यूस का नहीं बल्कि जो नेट प्रोड्यूस किसान की हो उसका दो तिहाई गवर्नमेंट ले और किसान की उस नेट प्रोड्यूस का यानि जो ४ या ५ मन गेहूँ एक बीघा में हो उसका टू थर्ड ($\frac{2}{3}$) ले। इस हिसाब से अच्छी से अच्छी बारानी जमीन का १ रुपया फी बीघा होता है।

हमारे यहाँ भरतपुर में रेक रेंटिंग बताया और कहा गया कि इस रेक रेंटिंग में ५० गुना २० गुना लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो दूना आपने किया है उससे दूने से लगान लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप कहते हैं कि भरतपुर में तो लागू नहीं होता। आज यहाँ सेटलमेंट करते हैं, कल दूसरी जगह करेंगे, ज्यादा से ज्यादा १) रुपये की जगह २ रुपये

[श्री गोपीलाल यादव]

बीघा बांध सकते हैं, अगर लैंड लार्ड्स का हिस्सा भी आप हड़प करना चाहते हैं तो; जो जागीरदार किसानों को लूटते थे, आप कहते हैं कि आप उनको खत्म कर रहे हैं, खत्म इसलिए कर रहे हैं कि किसानों को राहत मिले, किसानों को मदद मिले। लेकिन जो रुपया जागीरदारों और जमीदारों की जेब में जाता था, वह रुपया किसानों को बच जावे और उनकी हालत सुधरे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप अभी किसानों से लेन्ड रेन्ट का आधा लेते हैं। जागीरदार दो रुपये लेते थे तो आप उनसे २० रुपया लेना चाहते हैं। यह ग्रोस प्रोड्यूस का ⅙ या १।६ लेते हैं। मान लें कि एक बीघा जमीन में ६ मन सरसों पैदा हुई है तो ⅙ हिस्सा आप उनसे लेना चाहते हैं। उसका ⅙ हिस्सा होगा एक मन और उस एक मन की कीमत होगी १५ या २० रुपये। वह १५ या २० रुपयों तक बेची जाती है। बेरानी का आप १५, २० रुपया लगान लेने जा रहे हैं और आपने बहुत सी जगह वह लगान लगा दिया है। बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जो हाई कोर्ट से चेलेंज होती हैं और आप उनको लिगेलाइज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किस तरह से किसान को लूटा जावे। आप उनको लिगेलाइज करा कर किसानों को लूट रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप वास्तव में किसानों का हित चाहते हैं तो आपको चाहिये कि आपको उनके हित के लिए अपनी पार्टी के लोगों से भी लड़ना पड़े तो लड़ें और इस बिल को कभी भी पास न होने दिया जावे। इसके पास होने से यह होगा कि किसान भूखों मरेगा, किसानों की तबाही हो जावेगी। आज भी किसानों के पास कोई बचत नहीं रहती। बचत जो दिखाई जाती है वह कैसे दिखाई जाती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह कैसे बचत दिखाई जाती है? वह जो कुछ खर्च करता है, उसके घर वाले मेहनत करते हैं, वह बैल रखता है और सब खर्च करता है; उसके हिसाब लगाने के बाद आप सोचते हैंकि उसकी क्या बचत हो जाती है? वह खुद नंगा रहता है, बच्चों के पास कपड़े नहीं होते। अगर आप जाड़े की मौसम में उसके पास चले जावेंगे तो आप उसको एक लिहाफ में पावेंगे। उसके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं, खाने को अच्छा अनाज नहीं। वह भूखों मर कर, कपड़े न पहन कर और अपने बच्चों को कपड़ा न पहना कर कुछ बचत करता है और वह आपको लगान के रूप में दे देता है। अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप कहते हैं कि उसकी ग्रोस प्रोड्यूस का ⅙ या ⅙ हिस्सा ले लें। जो कुछ उसकी बचत हो उसकी बचत में से ही ले सकते हैं और जो उसकी बचत नहीं है और उसके खर्चे से भी कम उसकी पैदावार हो तो उससे कैसे ले सकते हैं? लेकिन आपने तय किया है कि उसकी ग्रोस आय में से ⅙ या ⅙ लिया जावेगा। मैं यह निवेदन करूँगा कि संसार में सब जगह; यू० पी० पंजाब आदि में कहीं भी देखें तो यह बात आपको कहीं नहीं मिलेगी कि किसानों की जो ग्रोस प्रोड्यूस हो उसका ⅙ या ⅙ हिस्सा लिया जावे। रेन्ट गवर्नमेंट जब ले सकती है जब कि किसानों की आमदनी को वह पहले मालूम करे और आमदनी पर उसे ले सकती है। जिस दिन से खेत साफ करते हैं उसका महनत का हिस्सा, बीज बोते हैं, हल चला कर जमीन को जोतते हैं उसका खर्चा निकाल लीजिये। वह और उसके बच्चे ३० बीघा जमीन पर, कम से कम ५ आदमियों का परिवार ही समझें, हो उसमें से दो या ढाई आदमी काम करते हैं तो २॥ आदमियों का साल भर का वेतन जो कम से कम आप तय करें, कम से कम आप भंगी को देते हैं वह तो देंगे; इस सब खर्चे को निकाल कर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कोई बचत नहीं निकलेगी। फिर आपने कैसे सोचा, यह किसानों पर ⅙

[श्री गोपीलाल यादव]

या है उनकी ग्रोस प्रोडयूस पर लगान लगाने का ? मैं यह कहूँगा कि अगर यह कानून लाया गया तो राजस्थान के किसान इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप यह कर क्या रहे हैं ? किसानों को लूट रहे हैं। किसान पंगु है और बहरा है। कांग्रेस की तरफ जो किसानों के प्रतिनिधि हैं वे भी इसको सोचते हैं कि यह अन्याय हो रहा है लेकिन उन सदस्यों पर व्हिप (नियन्त्रण) लगा हुआ है, वे बोल नहीं सकते। लेकिन मैं उनसे यह कहूँगा कि आप इस बात को शत-प्रतिशत सपोर्ट करेंगे कि यह किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। मुमकिन हो सकता है कि आप डर के मारे न बोलें और जो जुल्म किसानों पर हो रहा है उसको होने दें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान ५-४ मन अनाज पैदा करता है उससे आप एक मन ले लेना चाहते हैं।

उसके बाद आप आगे चलिए। आपके खातेदारी या बिस्वेदारी सिस्टम हैं। वह सब टीनेन्ट है उसका हिस्सा आपने रखा है। उसकी १/४ पैदावार आपने ले ली और उतनी ही पैदावार खातेदार या लेण्ड लोर्ड ले लेता है जो आपके नीचे सब लेण्ड लोर्ड होगा। इस तरह से किसान की पैदावार में से आधा हिस्सा चला जावेगा और आधा उसके पास बचेगा। मेरे मित्र जो रेक रेन्टिंग पर बोल रहे थे मैं उनसे कहूँगा कि अगर उनके दिल में किसानों के लिए भलाई है, दुश्मनी नहीं है, अगर दुश्मनी है तो कोई भी कानून दुश्मनी से पास कर दिया जावे; वर्ना यह किसानों के हित का नहीं है। मेरा यह दावा है कि इसके पास होने से किसानों की कोई भलाई नहीं होगी, किसनों के साथ आप दुश्मनी का बर्ताव कर रहे हैं और यह पास करके आप सारे राजस्थान के किसानों को लकड़हारे और पानी ढोने वाले बना देंगे और किसानों में कोई एक आदमी भी पढ़ नहीं सकेगा। आप यह इसलिए चाहते हैं कि किसानों में कोई आदमी पढ़ा ऐसा हुआ नहीं हो जो इलेक्शन में आपके मुकाबले में खड़ा हो सके। किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि आप सारे राजस्थान के मालिक होंगे और दूसरा कोई आपका मुकाबला करने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि माननीय मन्त्री इस पर पुनः विचार करेंगे और अभी मेरे बैठते ही इसको विथड्रा करने के लिए खड़े हो जावेंगे और उनके दिल में दर्द होगा। अगर मेरे इतना कहने के बावजूद भी उनको कोई दर्द नहो तो मैं यह प्रस्ताव करूँगा कि आप जो उधर बैठे हैं, सबसे पहले जनता के नुमायन्दे हैं; अगर आपकी पब्लिक को कोई आदमी कुल्हाड़ी लेकर गला काटता है तो आपको चाहिये कि उससे उनको बचावें, किसानों पर जुल्म होने वाला है उसको रोकें और पार्टी में आपस में सलाह करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन आपके सामने पेश करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसे स्वीकार करेंगे और इसको किसी भी हालत में पास नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष—At what time Hon'ble Members will like to rise; at 7 or 8 ?

एक माननीय सदस्य—At 7.

श्री अध्यक्ष—And tomorrow at 8 or at 8. 30 ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—8 will be too early.

श्री जवानसिंह— Buses will not arrive in time.

श्री अध्यक्ष—That I will arrange.

श्री हरिकृष्ण व्यास—[1. Sub-clause (1) (b)—

After the words '29th day of April, 1952' insert the following words:—

"and upto 15th March, 1954"

Add the following new sub-clause (c) after sub-clause (1) (b):

" (c) In case of rent rates determined after the 15th March, 1954, not more than one-tenth of the yearly gross produce calculated on basis of average irrigated and average cultivated areas".]

माननीय अध्यक्ष, मेरे दो एमेंडमेंट्स हैं। इनकी मन्शा यह है कि जब कैश रेन्ट मुकर्रर किया जाता है तो फिर ½ बाँटे का कानून जैसा कि बना है इस पर क्यों जोर दिया जाता है। एक तरफ केश रेन्ट की तरफ जोर दिया जाता है और दूसरी तरफ ½ बाँटे की बात कही जाती है। यह तरीका ठीक नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिये। इसलिए सन् १९५३ से मार्च १५, १९५४ तक जो हो गया सो हो गया, इसके आगे अब इस पर विचार करें। १५ मार्च, १९५४ के बाद में अब नये रेन्ट मुकर्रर हुए उनमें, "not more than 1/10th of the yearly gross produce calculated on the basis of average irrigated and average cultivated areas से रेन्ट लगे।

श्री अध्यक्ष—As a matter of fact the point is very clear.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रेन्ट रेट का प्रश्न माननीय अध्यक्ष, राजस्थान में काफी वर्षों से हमारे सामने है और मुझे अफसोस तो यह है कि अभी तक इस रेन्ट रेट के सिलसिले में कोई साइन्टिफिक आधार सरकार ने मुकर्रर नहीं किया है और न सरकार की इच्छा ही है। सबसे बड़ा अफसोस तो मुझे यह देख कर हुआ और मेरा खयाल है कि कम से कम इस बात को तो माननीय मन्त्रीजी खुद स्वीकार करेंगे कि जिन इलाकों में पहले से ½ या ⅓ हिस्सा लिया जा रहा है, अभी शेरगढ़ के माननीय मित्र यहाँ उपस्थित नहीं हैं, मगर दूसरे सदस्य तो उपस्थित हैं, उन इलाकों के लिए भी ½ हिस्सा लेने का कानून किस प्रकार लागू किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह तो मेरे ख्याल से अनजाने में होने वाली बात है, इसको तो तुरन्त सुधार लिया जायगा। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ मैं कह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष, वह यह है कि रेन्ट रेट्स मुकर्रर करते समय अगर महज इस वजह से कि जागीरदार बाले बँटा लेते थे, कहीं चौथा बाँटा लेते थे, कहीं तीसरा बाँटा लेते थे, बाद में सरकार ने छठा बाँटा कर दिया तो छठा लेते थे या ले रहे हैं, यह क्या आवश्यक है कि किसान की जितनी उपज है उसका छठा हिस्सा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लगान के रूप में लिया जाना चाहिए। क्या यह लगान सैद्धान्तिक है? लगान अगर हकीकत में हम चाहें तो जमीन का किराया नहीं है। उसूलन लगान, किसान की कमाई में से कुछ हिस्सा सरकार को मिलना चाहिए। कमाई का हिस्सा है, अगर वह कमाई का हिस्सा है तो जिस किसान की अगर पैदावार अपने भरण-पोषण के लिए भी काफी न होती हो, जिस किसान को अपने बाल-बच्चों को मामूली से मामूली शिक्षा देने की परिस्थिति उपलब्ध न होती हो वह अपनी कमाई का हिस्सा क्योंकर दे सकता है? किसलिए दे वह? आप यह देखेंगे कि जितने प्रगतिशील मुल्क हैं उनके अन्दर एक सीमा तक जमीनों को लगान से मुक्त रखा जाता है। यह इस वजह से रखा जाता है कि ये अनइकोनोमिक होल्डिंग्स (Uneconomic holdings) हैं। उसको मुनाफा कुछ होता नहीं, उसके पास कुछ बचता नहीं। ऐसी हालत में उससे लगान क्यों लिया जाय? अगर हम उस हद तक तुरन्त नहीं जा सकते तो भारत सरकार ने अपना जो एक स्टेन्डर्ड लागू किया है उस तक तो जा सकते हैं। उन्होंने यह तय किया है कि रीज़नेबल प्रोफिट होना चाहिए। इस सिलसिले में भारत सरकार ने विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की थी और वह कमेटी इस नतीजे पर पहुँची कि यदि किसी ने पूँजी लगाई है तो उस पूँजी पर ६$\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट मुनाफा देना है। किसी उद्योग में चाहे कितनी भी ग्रोस प्रोडयूस होती हो किन्तु उसकी बचत जितनी होती है उस बचत में से मुनाफे का हिस्सा लिया जाना चाहिए, सरकार को या चाहे किसी दूसरे व्यक्ति को। यह भी मान लें कि सरकार ने जमीन का इन्वेस्टमेन्ट किया है और उसका कुछ मुआवजा सरकार को मिले तो ग्रोस प्रोडयुस या कुल प्रडयुस का $\frac{1}{१६}$ हिस्सा ज्यादा से ज्यादा सरकार को मिलना चाहिए लेकिन तुरन्त अगर उस सीमा तक न जा सके तो मैंने एक दर्मियानी, मीडियम वे (medium way) निकाला है और वह यह है कि धीरे-धीरे $\frac{1}{१६}$ हिस्से को पहुँचने के इरादे से अब जो लगान मुकर्रर करें वह $\frac{1}{६}$ से किसी हालत में ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का सुझाव देने का सामरिक कारण यह है माननीय अध्यक्ष, कि अब लड़ाई का जमाना गुजर चुका है, अब जो एग्रीकल्चरल प्रोडयुस (जो भी इन्डस्ट्रीज़ की हो या अनाज की) कीमतें खास कर किसानों के लिए नीचे की ओर जा रही हैं और जल्दी ही वह समय आने वाला है माननीय अध्यक्ष, जब शायद सरकार को, इस सदन को भी कदम उठाना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडयुस की कीमतें कम से कम नियत करनी पड़ेंगी, मुकर्रर करनी पड़ेंगी। जब आज किसानों की आमदनी नीचे की ओर जाने लग गई है, ऐसी हालत में पिछले दस वर्षों की उसकी आमदनी के एवरेज को खयाल में रखते हुए और उसकी मौजूदा पैदावार को खयाल में रखते हुए उसकी मॉनीटरी कीमत का $\frac{1}{६}$ अगर हम लगान रखेंगे तो उसका तात्पर्य यह है कि गिरी हुई कीमतों के लिहाज से $\frac{1}{६}$ न होगा और डेसी की कीमतें घट रही है मुमकिन है दो-तीन वर्षों में कोई खास रेट मुकर्रर की जाय तो फिर वह आधा हिस्सा से भी ज्यादा हो जायगा। तो यह एक पेचीदा परिस्थिति आ जाती है। आने वाले ट्रेन्ड्स को देखते हुए हमें उस ओर कदम उठाना चाहिए। अगर हम दस वर्षों के लिए लगान मुकर्रर कर रहे हैं तो आगे के लिए किसान के लिए ऐसा लगान मुकर्रर करना चाहिए जिससे किसान पिस न जाय। इन दोनों आधारों पर मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे अमेन्डमेन्ट्स को स्वीकार कर लें। इस में कमी रह गई है।

श्री अध्यक्ष—बाकी का वाद-विवाद कल के लिए रख दें।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह— यह रूलिंग मिल गयी है इससे पोइन्ट साफ हो जायगा। जो बिल रह गया है वह दो मिनट में पास हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—कल ले लिया जायगा।

We now adjourn till 8-30 tomorrow.

[सदन की कार्यवाही ६ बज कर ५६ मिनट सायं पर, अगले दिन के प्रातः ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हुई]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक-१ अप्रेल, १९५४:

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।